V | D H | Centre for Legal Policy

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर उच्च स्तरीय कार्यसमूह की रिपोर्ट

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति को प्रस्तुति

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर उच्च स्तरीय कार्य-समूह की रिपोर्ट

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति को प्रस्तुति

हिंदी संस्करण प्रकाशित: 25 जुलाई 2023
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल संस्करण: 18 मई 2023

V | D H | Centre for Legal Policy

कवर चित्र: पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड के नजदीकी जंगल। फोटो: देबादित्यो सिन्हा

यह एक स्वतंत्र, अनियुक्त कार्य है जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (विधि) द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कार्य-समूह द्वारा किया गया है। विधि स्वतंत्र विचारधारा वाला एक थिंक-टैंक है, जो सार्वजनिक हित के लिए बेहतर कानून बनाने और शासन में सुधार करने के लिए कानूनी अनुसंधान करता है।

उच्च स्तरीय कार्य-समूह के सदस्य (अंग्रेजी के आधार पर वर्णानुक्रम से क्रमबद्धित):

1. **श्रीमती आकांक्षा सूद सिंह** - राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वन्यजीव चित्रपटकार
2. **डॉ. अंकिला हिरेमाठ** - वरिष्ठ उपसंबद्ध फेलो, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन एकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एट्री)
3. **डॉ. अरविंद कुमार झा** (आईएफएस) - पूर्व मुख्य वन संरक्षक और निदेशक महाराष्ट्र (सोशल वन्यजीव विज्ञान)
4. **डॉ. असद रहमानी** - वन्यजीव वैज्ञानिक और पूर्व निदेशक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
5. **श्रीमती भानु तटक**, सह-संस्थापक - इंडिजनस रिसर्च एंड एडवोकेसी डिबांग, अरुणाचल प्रदेश
6. **श्री बृज किशोर सिंह** (आईएफएस) - पूर्व मुख्य वन संरक्षक - वन फोर्स, कर्नाटक
7. **श्री देबादित्यो सिन्हा** - लीड, क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
8. **श्री देव प्रकाश बांखवाल** (आईएफएस) - पूर्व मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव संरक्षक, असम
9. **डॉ. ध्वनि मेहता** - वकील और सह-संस्थापक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
10. **डॉ. हरेन्द्र सिंह बरगली** - उपनिदेशक (उत्तर भारत), द कोरबेट फाउंडेशन
11. **श्रीमती मधू शर्मा** (आईएफएस) - पूर्व मुख्य वन संरक्षक, कर्नाटक
12. **डॉ. एम.डी. मधुसूदन** - सह-संस्थापक, नेचर कंसर्वेशन फाउंडेशन
13. **श्रीमती मीरा चंद्रन** - संरक्षणकारी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन विशेषज्ञ, केरल और कर्नाटक
14. **डॉ. एम.के. रंजीतसिंह** (आईएएस) - प्रतिष्ठित संरक्षणकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ
15. **श्रीमती नीलम अहलुवालिया नाकरा** - सह-संस्थापक और अर्थव्यवस्थापक, अरावली बचाओ सिटीज़न मूवमेंट
16. **श्रीमती नीमा पाठक ब्रूम** - समन्वयक, संरक्षण और आजीविका कार्यक्रम, कल्पवृक्ष
17. **श्रीमती ऋत्विका शर्मा** - वकील और लीड - चरखा (संवैधानिक कानून केंद्र), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
18. **श्री विजय धसमाना**- संचालक, अरावली बायोडिवर्सिटी पार्क, गुरुग्राम

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर उच्च स्तरीय कार्य समूह (**"कार्य-समूह"**) ने समावेशी और संप्रसार्धक दृष्टिकोण को अपनाया जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझावों को शामिल की गई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, घरेलू श्रेष्ठ प्रथाओं, मामला अध्ययनों, समाचार लेखों, और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से माध्यमिक साहित्य का सहारा भी लिया। इस दृष्टिकोन से सुनिश्चित हुआ कि टिप्पणियाँ एवं सुझावों के निर्माण के दौरान विभिन्न दृष्टिकोन और विशेषज्ञता को विचार में लिया गया। कार्य-समूह का उद्देश्य है कि उसके सिफारिशें ज्ञानवर्धित हों, व्यापक रूप से समझे जाएं और निर्णय-प्रक्रियाओं को सूचित करने में योगदान कर सकें।

कार्य-समूह ने इस प्रस्ताव को समारिक करने के लिए दो वर्चुअल मीटिंग्स और ईमेल के माध्यम से चर्चाएं आयोजित की। इन वर्चुअल मीटिंगों ने सदस्यों को सहभागी बनने और दूरस्थता संबंधी समस्याओं को दूर करने की अनुमति दी। प्रस्ताव की अंतिम समीक्षा और स्वीकृति 18 मई 2023 को नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में, कार्य-समूह के 18 सदस्यों में से 13 सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जबकि शेष 5 सदस्य वर्चुअली जुड़े थे।

इसके अतिरिक्त, एचएलडब्ल्यूजी अपनी इच्छा दर्ज करता है कि संसद की संयुक्त समिति के सामने प्रस्तुतियां विस्तार से की जाएं।

कार्य-समूह हिमांशु अहलावत, शशांक पांडेय, और शिखा शर्मा को, जो क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स टीम, विधि में रिसर्च फेलोज हैं, उनके रिसर्च सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहेगी। समूह धन्यवाद देना चाहेगा सभी हितधारकों को, जिनसे परामर्श के भाग के रूप में उनके विचार और सुझाव साझा किए गए, विशेष रूप से अनलाइन प्लेटफ़ॉर्म CIVIS के माध्यम से।

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद: मांशी आशर

पत्राचार

इस प्रस्ताव संबंधी किसी भी संचरणा या स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संपर्क करें:

देबदित्यो सिन्हा
वरिष्ठ रेजिडेंट फेलो एवं लीड - क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
ए-232, रतनलाल साहदेव मार्ग,
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
011-43102767/43831699
debadityo.sinha@vidhilegalpolicy.in

विषय सूची

सारांश 3

1. प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावना के खिलाफ़ हैं 6

2. धारा 1 उपधारा (1) पर टिप्पणियाँ 9

2.1 अधिसूचित किये जाने वाले वनों को ले कर चिंताएं 10

2.2 25 अक्टूबर 1980 से पहले दर्ज की गई अधिसूचित वन भूमि से जुड़ी चिंताएँ 10

2.3 ऐसे वनों से जुड़ी चिंताएं जो न तो वनों के रूप में अधिसूचित ना ही दर्ज किए गए 12

2.4 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर-वन उपयोग के लिए हस्तांतरित वनों से जुड़ीं चिंताएं 14

2.5 सुझाए गये बदलाव 15

3. धारा 1क (2) पर टिप्पणियाँ 17

3.1 सड़क के किनारे जन सेवाओं के निर्माण को लेकर चिंताएं 18

3.2 वृक्षारोपण और पुन:वनीकरण के लिए भूमि को ले कर चिंताएं 20

3.3. सामरिक लीनियर परियोजनाओं, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं सम्बन्धी निर्माण कार्यों से जुडी चिंताएं 21

3.4 सुझाए गये बदलाव 25

4. धारा 2 पर टिप्पणियाँ 27

4.1 राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि को पट्टे पर लीज़ करना 28

4.2 उपखंड(ii)-(v) में सूचित प्रतिष्ठानों के लिए छूट 29

4.3 इको-पर्यटन सुविधाओं के लिए छूट 29

4.4 चिड़ियाघर और सफ़ारी के लिए छूट 30

4.5 केन्द्रीय सरकार द्वारा 'किसी अन्य समान उद्देश्यों' के लिए निर्धारित की गयी भूमि 31

4.6 सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए छूट 31

4.7 सुझाए गये बदलाव 32

5. वन आधारित समुदायों की आजीविकाओं और अधिकारों को ले कर चिंताएं 35

6. सुझावों का सारांश 37

अनुलग्नक 41

सारांश

29 मार्च 2023 को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने लोक सभा में वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम बिल, 2023 ("**बिल**") पेश किया। इस विधेयक में वन संरक्षण कानून, 1980 ("**FCA**") के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। विधेयक के प्रावधानों को जांचने के लिए विधेयक संसद स्तर की एक जॉइंट कमिटी ("**JC**") को सौंपा गया है और इसकी रिपोर्ट जुलाई 2023 तक आने की संभावना है। JC ने एक प्रेस विज्ञापन CBC 31201/11/0001/2324 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। इसी सन्दर्भ में यह ज्ञापन तैयार किया गया है जिसमें विधेयक को ले कर चिंताएं और सुझाव व्यक्त हैं।

विधेयक के प्रावधानों के विश्लेषण और ज्ञापन तैयार करने के लिए विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा एक उच्च स्तरीय कार्य-समूह (**"कार्य-समूह"**) का गठन किया गया। इस कार्य-समूह में जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ, आईएएस, आईएफएस से सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शामिल किए गये। कार्य-समूह ने अलग-अलग क्षेत्रों व पृष्ठभूमियों से संबधित विशेषज्ञों के सुझावों को समावेशी और भागीदारीपूर्ण तरीके से सम्मिलित किया। दो बार ऑनलाइन बैठक करने के बाद इस ज्ञापन को 18 मई 2023 को दिल्ली में हुयी बैठक में अंतिम स्वरूप दिया गया। इस ज्ञापन को तैयार करने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन, प्रकाशित लेखों का उपयोग किया गया।

इस ज्ञापन को 6 अध्याय में बांटा गया है जिसमें हर भाग में विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर गहराई से चर्चा प्रस्तुत है, प्रावधान से सम्बन्धित चिंतायें व साथ ही उससे जुड़े सुझाव भी।

अध्याय 1 में विधेयक में डाली गयी नई प्रस्तावना पर चर्चा है। जहां यह प्रस्तावना वन संरक्षण कानून के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, अन्य संशोधनों के साथ तुलना मात्र करने पर पता चलता है कि इस विधयेक के उद्देश्य और प्रस्तावित प्रावधानों में कोई समानता नहीं है।

अध्याय 2 में धारा 1क (1) के शामिल करने पर समीक्षा है। इस प्रावधान में FCA के अंतर्गत भूमि की अलग-अलग श्रेणियों का विवरण है। प्रस्तावित संशोधन कुछ वन श्रेणियों को लेकर अस्पष्टता व अपवाद पैदा करता है। भारत के अलग-अलग भू-भागों के उदाहरण ले कर इस पर विस्तृत चर्चा की गयी है। इन श्रेणियों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचित किए जाने वाले प्रस्तावित वन, 25 अक्टूबर 1980 से पहले सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि और वे वन शामिल हैं जो न तो अधिसूचित हैं और न ही वन के रूप में दर्ज हैं। इस भाग में *टी.एन.गोदावर्मन बनाम भारत सरकार* केस में सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के फैसले से पहले राज्य सरकारों द्वारा गैर वानिकी कार्यों के लिए (बिना FCA की धारा 2 की मंज़ूरी के) हस्तांतरित वन भूमि को भी छूट देने पर चिंताएं व्यक्त की गयी हैं।

कार्य-समूह का सुझाव है कि उपधारा (ख) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाये। साथ ही वन संरक्षण कानून के उद्देश्य और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को अनुकूल बनाने के लिये एक नई उपधारा (ग) को जोड़ने का सुझाव है। यह सुझाव एक तालिका के रूप में भी पेश किये गये हैं।

अध्याय 3 में प्रस्तावित धारा 1(क) की नयी उपधारा 2 की योग्यता का आंकलन किया है। इसमें कई प्रकार की भूमि श्रेणियों पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होने से छूट दी गयी है। इसमें शामिल है - सड़क और रेल पटरियों के दोनों तरफ

0.10 हैक्टेयर तक वन भूमि, ऐसी वृक्षारोपित और वनीकरण वाली भूमि जो कि-धारा 1(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत न आती हो, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा/LOC/LAC के 100 कि.मी. के अन्दर किसी भी 'स्ट्रेटेजिक लीनियर' (रणनीतिक या सामरिक सड़क, रेल इत्यादि) परियोजना' और 10 हेक्टेयर तक सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि। कार्य-समूह ने इस खुली और पूरी छूट के संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए पाया कि इससे वनों का विखंडन और वन्यजीव के प्राकृतिक आवास और आने-जाने के रास्तों का विनाश होगा। 'स्ट्रेटेजिक लीनियर' परियोजनाओं को पूर्ण रूप से FCA से छूट देना गैर ज़रूरी और अनुचित पाया गया क्यों कि वैसे भी इन परियोजनाओं को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया में केन्द्रीय सरकार तत्परता और तेज़ी से कार्यरत है। साथ ही कार्य-समूह ने हिमालयी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते भूस्खलन और बादल फटने जैसी पर्यावरणीय आपदाओं के बढ़ने पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा कार्य-समूह ने यह भी पाया कि प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय वन नीति 1988 और FCA के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के नाम पर परियोजनाओं को खुली छूट देना FCA का उल्लंघन भी करता है।

कार्य-समूह ने यह भी पाया कि भारत में क्षतिपूरक वनीकरण (कोम्पेंसटोरी एफोरेस्टेशन) कार्यों से विकास परियोजनाओं में उजड़े हुए प्राकृतिक तंत्र का न तो पुनर्स्थापन होता है और ना ही कुदरती जैविविधता का। इसलिए प्राकृतिक वनों का बचाव और प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी ना की इनकी जगह वृक्षारोपण करने को।

कार्य-समूह ने धारा 1(क) की उपधारा (2) को हटाने का सुझाव दिया क्योंकि पहले ही FCA की धारा 2 के तहत अनुमति तेज़ी से दिया जा रहा है। और साथ ही पूर्ण छूट देने से वनों, वन्यजीवों और प्राकृतिक तंत्र की सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालना – यह FCA के मूल उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। सुझाव तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 4 में कार्य-समूह ने FCA की धारा 2 के अंतर्गत जिन गतिविधियों को वन मंजूरी से छूट दी गयी है उस पर चर्चा है। चिड़ियाघर-सफ़ारी और ईको टूरिज़्म को छूट देने और वन संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के सहायक कार्यों में जोड़ने पर कार्य-समूह ने चिंता व्यक्त की। इसी के साथ धारा में जोड़ा यह प्रावधान - 'इस प्रकार का कोई अन्य प्रायोजन जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिद्रिष्ट करे' – भी चिंता का विषय है। इससे बिना जन परामर्श और संसदीय प्रक्रिया ही कानूनी बदलाव करने की अपार शक्ति अधिकारियों को मिलती है। इसमें परियोजनाओं के लिए 'सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण' गतिविधियों को भी आम मंज़ूरी दे देने का प्रस्ताव भी वन संरक्षण के उद्देश्य के अधीन नहीं।

इन सभी गतिविधियों को पूरी छूट देना राष्ट्रीय वन नीति 1988 और FCA के उद्देश्यों की अवहेलना है क्यों कि यह वनों के दोहन पर नियंत्रण प्रणाली को ढीला करते हैं। ऐसे प्रस्तावित प्रावधानों को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। 'संरक्षण के लिए सहायक गतिविधियों' के प्रावधनों के दुरूपयोग से बचने के लिए यह सुझाव आया है कि इन धाराओं में बदलाव कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह सुझाव एक तालिका के रूप में भी पेश किये गये हैं।

अध्याय 5 में वन आश्रित समुदायों के अधिकारों और आजीविकाओं पर प्रस्तावित संशोधन के प्रभावों को देखा गया है। इसमें कार्य-समूह ने मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कानून यानी पैसा 1996 के अंतर्गत स्थानीय समुदायों के सुरक्षित किये गये अधिकारों पर FCA में संशोधन करने से क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय पर चर्चा की है।

यह विधेयक विशेष रूप से वन आश्रित समुदायों के संवैधानिक अधिकारों – जैसे स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, सूचना के अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अधिकार, और न्याय हासिल करने के अधिकार को कमज़ोर करता है। वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में जिस तरह की छूट संशोधन विधेयक की धारा 1(क) और धारा 2 में प्रस्तावित हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे ऐसे जन अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि यह अधिकार ऐतिहासिक हैं और पीढ़ियों से इस देश के वन-आधारित, आदिवासी और

अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों का वन भूमि के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। इन समुदायों के लिए आजीविका कमाने से ले कर सांस्कृतिक परम्पराओं और सामाजिक खुशाली का स्रोत हैं जंगल और ज़मीन। इसलिए कार्य-समूह का सुझाव है कि विकास और संरक्षण के सभी प्रयास वन आधारित समुदायों के अधिकारों, भागीदारी और मंज़ूरी को साथ लेते हुए, उनके इस गहरे प्राकृतिक जुड़ाव और सतत परम्पराओं का आदर करते हुए, चलाये जायें।

अध्याय 6 में धारा वार सुझावों का संक्षिप्त वर्णन पेश किया गया है।

1. प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावना के खिलाफ़ हैं

वन संरक्षण कानून 1980 (“**ऐक्ट**” या “**FCA**”) की शुरुआत होती है इस उद्देश्य से, *‘वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषांगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।’* वन संरक्षण संशोधन विधेयक में इस नई प्रस्तावना को जोड़ा गया है:

‘चूंकि टिकाऊ विकास और पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 2070 तक नेट जीरो एमिशन और वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वनों के महत्व को मानना है;

और चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों के अनुसार देश में अतिरिक्त 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO2 के हिसाब से कार्बन सिंक का सृजन होना है;

और चूंकि देश के वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र को बढ़ा कर कुल भूभाग के एक तिहाई हिस्से में फैलाना और जिसके बढ़ोतरी दर को लगातार प्रोत्साहान देना है;

और चूंकि भारत में वनों और जैविविधता का संरक्षण करने की परम्परा रही है इसलिए वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ, और वन आश्रित समुदायों की आजीविकाओं को बढावा देने की परिकल्पना है;

और चूंकि वनों के संरक्षण प्रबंधन और वनों की बहाली, पारिस्थितिकीय सुरक्षा बनाये रखने और वनों के परम्परागत-सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने तथा आर्थिक ज़रूरतों और कार्बन रहित बनने के लिए ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता है।’

विधेयक की इस प्रस्तावना की तुलना जब संशोधनों से की जाती है तो अंतर्विरोध नज़र आता है। बल्कि यह संशोधन पुराने जंगलों के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता को कमजोर कर कार्बन सिंक बनाने के नाम पर अप्राकृतिक वृक्षारोपण का महिमामंडन करते हैं।

1950 में भारत का वन आवरण क्षेत्र 23.06 % था जो कि 1970 में घट कर 19.13% हुआ।[1] 1980 में वन संरक्षण कानून बनने के बाद वन आवरण क्षेत्र 2000 में 20.34% हुआ और 2021 में 21.71%। परन्तु कुछ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002 से 2020 तक भारत ने अपने 3.4% प्राथमिक वन खो दिए।[2] वर्ष 1990 से 2000 के बीच भारत में 3,84,000 हैक्टेयर वनों का नुकसान देखा गया और वर्ष 2015 से 2020 के बीच यह आंकडा बढ़ कर 6,68,400 हैक्टेयर हो गया था। 2015 और 2020 के बीच हमारे देश में वनों की कटाई का दर दुनिया में ब्राजील (16,95,700 हेक्टेयर) के बाद सबसे अधिक यानि दूसरे नंबर पर रहा।[3]

---

[1] Forest Resources Assessment 1990 - Tropical Countries’ <https://www.fao.org/3/t0830e/t0830e00.htm> accessed 17 May 2023

[2] 2022 Deforestation Statistics for India’ (Mongabay) <https://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/India.htm> accessed 16 May 2023

[3] India Lost 668,400 Ha Forests in 5 Years, 2nd Highest Globally: Report’

विधेयक की प्रस्तावना में देश के वन आवरण क्षेत्र को बढ़ा कर कुल भूभाग के एक तिहाई हिस्से में फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु प्रस्तावित संशोधन में वनों के विखंडन और दोहन को रोकने के बजाए पुराने प्राकृतिक वनों के एक बड़े हिस्से में व्यवसायिक गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए छूट दे दी गयी है। यह FCA, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 ("**NFP**") के उद्देश्यों के खिलाफ है और पुराने प्राकृतिक वनों को दोहन से बचाने के लक्ष्य से पीछे हटता है।

यह भी विडंबना की बात है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ("**FSI**") अपनी 2021 की रिपोर्ट में वन क्षेत्र के विवरण में सड़क के किनारों के वृक्षारोपण, चाय/कॉफ़ी के बागान, बगीचे, ताड़ (पाल्म) की खेती सब शामिल कर लेता है।[4] और अब यह विधेयक भी प्राकृतिक वनों, जिनकी जगह अप्राकृतिक वृक्षारोपण नहीं ले सकते, को सुरक्षित करने वाले कानूनी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव करता है।

धारा 1 और 2 में किये गए संशोधनों का मक़सद दुनिया के सबसे जैविविधता संपन्न वनों में निर्माण कार्यों को विकसित करने पर लगे प्रतिबंध को हटाना है। बल्कि जो वन भूमि 1980 के पहले 'वन' के रूप में दर्ज थी उसको भी अब छूट मिल जायेगी। साथ ही एक अन्य प्रावधान में 12 दिसंबर 1996, यानी सर्वोच्च न्यायालय के *टी.एन. गोदावर्मन फैसले*[5] से पहले गैर वानिकी कार्य के लिए दी गयी वन भूमि को कानूनी मान्यता देना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही यह विधेयक ऐसे संशोधन प्रस्तावित करता है जिससे वन भूमि में कई प्रकार के निर्माण कार्य जैसे सुरक्षा के नाम पर, चिड़ियाघर-सफ़ारी, ईको टूरिज़्म, सड़क किनारे की सुविधायें आदि को खुली छूट मिल जाएगी जिससे वनों और वन्यजीव दोनों को नुकसान पहुंचेगा।।

विधेयक एक दूरदर्शी भूमिका लेने के बजाए वृक्षारोपण से प्राकृतिक वनों के दोहन की क्षतिपूर्ति कर कार्बन संग्रह करने पर जोर देता है। जबकि कार्बन का संग्रह करना तो वनों के बहुत सी भूमिकाओं में से एक भूमिका है। प्राकृतिक वन न केवल कार्बन संग्रह की भूमिका बेहतर अदा करते हैं बल्कि वनस्पतियों और जीवों की विविधता के आवास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं, जूनोटिक रोगों (संक्रामक रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है) के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करते हैं और आजीविका के स्रोत भी प्रदान करते हैं।

वृक्षारोपण के कुछ फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वनों की जटिलता और विविधता को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। प्राकृतिक वनों में वनस्पति, वन्यजीवों और सूक्ष्मजीवों के बीच के अंतर सबंध, एक ही प्रजाति के मोनोकल्चर वृक्षारोपित वन में मिलना मुश्किल है। वृक्षारोपित वन विभिन्न वन्यजीवों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान नहीं करते हैं और ना ही स्थानीय समुदायों को समान पारिस्थितिकीय सेवाएं और लाभ मिलते हैं। अक्सर वृक्षारोपित वन पहले से मौजूद पारिस्थितिकी के वनस्पति व अन्य जीवों को विलुप्ति की ओर ले जाते हैं, मिट्टी की विशेषताएं बदलते हैं, समुदायों को वन उत्पादों और अन्य पारिस्थितिकी सेवाओं से वंचित होना पड़ता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिरोधक क्षमता घटने से चरम मौसमी आपदाओं का खतरा भी बढ़ता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रख विभिन्न जीवों का पोषण करने में और अत्याधुनिक मौसमी घटनाओं से बचाव करने में प्राकृतिक वन और घास के मैदान अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पेड़ उगाने से पानी की समस्याएं बढ़ जाती हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों और आर्द्रता में कमी भी आती हैं, जिससे जलवायु संकट के प्रभाव में बढ़ोतरी होती है।

<https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/india-lost-668-400-ha-forests-in-5-years-2nd-highest-globally-report-88337> accessed 16 May 2023

[4] 'Plantations, Invasive Species... What All India Counts as "Forest"'
< https://www.downtoearth.org.in/news/forests/plantations-invasive-species-what-all-india-counts-as-forest--81282> accessed 16 May 2023

[5] (1997) 2 SCC 267

प्रस्तावना में भारत में वनों और जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों का भी उल्लेख है। जबकि विधेयक वनों पर आधारित समुदायों के आजीविका और अन्य अधिकारों को कमजोर करता है। विभिन्न किस्म की वन भूमि और गतिविधियों को कानून के प्रावधानों से छूट मिलने का मतलब है कि इन वनों पर निर्भर समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकार और आजीविका के लाभ से वंचित होना पड़ता है। यह विधेयक दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातिओं के आवास के रूप में वनों के महत्व की पूरी तरह से अनदेखी करता है। इसमें कानून को मजबूत करने के लिए कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं हैं। बजाय इसके प्रस्तावित संशोधन व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि को खोलने की ओर जाता है, जो स्पष्ट रूप से FCA 1980 और NFP 1988 के उद्देश्यों, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों[6] के तहत निहित सरकार के पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत[7] के विपरीत है जिनका काम देश के प्राकृतिक वनों व वन्यजीव संपदा की सुरक्षा करना है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि कानून के अंग्रेजी संस्करण के शीर्षक को भी हिंदी भाषा में "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम" रखना – यह हिंदी न बोलने वाले राज्यों पर अनावश्यक रूप से हिंदी भाषा को थोपने जैसा है।

अगले अध्यायों में विधेयक का अनुच्छेद-वार अवलोकन, के साथ सुझाए गए बदलावों की विस्तृत चर्चा है।

---

[6] Constitution of India 1950, Article 48A

[7] M.C. Mehta v Kamal Nath (1997) 1 SCC 388

2. धारा 1 उपधारा (1) पर टिप्पणियाँ

प्रस्तावित संशोधन (नई जोड़ी गयी धारा)	1क (1) निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात: — (क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है; (ख) वह भूमि, जो खंड(क) के अधीन नहीं आती है, किन्तु 25 अक्तूबर 1980 को या उसके बाद किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गयी है: परन्तु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन से गैर वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है; स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'सरकारी अभिलेख' अभिव्यक्ति से राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है।
मुख्य चिंताएं	क. प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय वन नीति 1988 और वन संरक्षण कानून के खिलाफ हैं और मौजूदा नियंत्रणों में छूट देते हैं। ख. उपधारा 1क(1)(ख) को परंतुक/शर्त के साथ पढने पर ग़लत अर्थ निकाल सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1996, यानी टी.एन. गोदावर्मन फैसले में छूट (अपवाद) लेने की संभावना है। ग. प्रस्तावित बदलाव में उन भूमियों को भी वन की परिभाषा से बाहर रखा गया है जो पहले किसी सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में अधिसूचित या दर्ज नहीं हुए लेकिन इनका स्वरूप प्राकृतिक वन का है, जिसमे अधिसूचना में प्रस्तावित वन भी शामिल है। घ. प्रस्तावित बदलाव में उन वन भूमियों को भी शामिल नहीं किया गया जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 और उक्त राज्य नियमों के अंतर्गत वन भूमि घोषित करना बाकी था।

प्रस्तावित संशोधनों के चलते वन भूमि की परिभाषाओं में गड़बड़ियां हो सकती हैं और इसका वनों का दोहन करने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उपधारा 1क(1)(ख) का ग़लत अर्थ निकाल कर इसका दुरुपयोग सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1996, यानी *टी. एन. गोदावर्मन बनाम भारत सरकार (**"गोदावर्मन फैसला"**)* के फैसले में छूट (अपवाद) लेने के लिए किया जा सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव मौजूदा कानून की धारा 2 की उपयोगिता पर पड़ेगा। धारा 2 के तहत सरकारी रिकार्ड में दर्ज वन भूमि के किसी भी गैर वानिकी कार्य के लिए हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति अनिवार्य है। प्रस्तावित संशोधन में यह उपधारा मौजूदा कानून के उद्देश्यों और संशोधन में दी प्रस्तावना के विपरीत है। इन चिंताओं पर नीचे दिए खण्डों में और चर्चा और सुझाव हैं।

2.1 अधिसूचित किये जाने वाले वनों को ले कर चिंताएं

1927 के वन कानून यानी (**"IFA"**) के अनुसार राज्य सरकारें किसी भी वन को सुरक्षा के उद्देश्य से कानून की धारा 4 के तहत एक राज पत्रक अधिसूचना के माध्यम से और फिर आखिर में धारा 20 के तहत राज पत्रक अधिसूचना से 'आरक्षित वन' ("**RF**") घोषित कर सकती हैं। इसी प्रकार संरक्षित वन ("**PF**") भी इसी कानून की धरा 29 के अंतर्गत अधिसूचित किये जा सकते हैं। परन्तु किसी भी भूमि को वन भूमि अधिसूचित करने कि यह प्रक्रिया काफी लम्बी चौड़ी है और इसी के चलते देश में कई जगह ऐसी वन भूमि को धारा 4, 20 और 29 के तहत अधिसूचित करने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां आयीं और यह लंबित रही।

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में, 881 वर्ग कि.मी. और 4,643 वर्ग कि.मी. भूमि का धारा 4 और 20 के तहत अधिसूचित होना प्रस्तावित है।[8] ऐसे ही असम में तकरीबन 730 वर्ग कि.मी. को असम वन नियंत्रण अधिनियम 1891 के तहत प्रस्तावित आरक्षित वन से आरक्षित वन की श्रेणी में लाने की प्रक्रिया अधूरी है।[9]

वन भूमि के सन्दर्भ में ऐसी ही स्थिति उन सभी राज्यों में पायी जाती है जहां धारा 4 और धारा 20 के तहत वनों की अधिसूचना जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, जो कि 1980 से दशकों पहले की है, के बाद से लंबित है। ऐसे वन क्षेत्र अधिकतर मौजूदा RF और अन्य संरक्षित क्षेत्रों ("**PA**") (वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान, आदि) से सटे होते हैं, जो वन्य जीव से समृद्ध हैं और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए अत्यधिक लाभदायी हैं। जबकि ऐसी अधिकांश भूमि का प्रबंधन वन विभागों द्वारा किया जाता है, वन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत कब्जों में है और अवैध विकास के खतरे का सामना करता है। प्रस्तावित संशोधन ऐसे क्षेत्रों से मौजूदा नियंत्रण को हटा सकता है। वन विभागों द्वारा वनों के रुप में प्रबंधित और संरक्षित ऐसे कई वन हैं जिनको अभी अधिसूचित किया जाना है - प्रस्तावित संशोधनों से ऐसी वन भूमि में हो रहे उल्लंघनों को कानूनी मान्यता मिल सकती है।

2.2 25 अक्टूबर 1980 से पहले दर्ज की गई अधिसूचित वन भूमि से जुड़ी चिंताएँ

विधेयक वन कानून की उपयुक्तता को केवल उस भूमि तक सीमित करने की कोशिश करता है *जो 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज की गई है।* जबकि 12 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश ने FCA

[8] As per information obtained under RTI from the office of Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow, by Debadityo Sinha, 25 January 2022

[9] As per discussion with Mr D.P. Bankhwal, Former PCCF- Assam

की धारा 2 को स्वामित्व और तारीख पर ध्यान केंद्रित किए बिना, लागू किया है। प्रस्तावित संशोधन इस निर्णय में 'अपवाद' पैदा करते हैं। टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ (1996) का अंश निम्नलिखित है:

> *"वन" – इस शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए इस परिभाषा में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल है, चाहे वे आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा। धारा 2 में आने वाले शब्द "वन भूमि" में न केवल वह "वन" शामिल होगा, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा गया है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र, चाहे किसी के भी स्वामित्व में हो, इसमें शामिल है। अधिनियम (FCA) की धारा 2 के उद्देश्य के सन्दर्भ में इसे इस प्रकार समझना होगा।"*

गोदावर्मन फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कोई भी कट-ऑफ तारीख (या समय सीमा) नहीं है और निर्देश बिना किसी अपवाद के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वनों के रूप में दर्ज हर प्रकार की भूमि पर लागू होते हैं। प्रस्तावित संशोधन एक कट-ऑफ तारीख डालकर 'वनों' के लिए एक नई श्रेणी बनाता है।

'25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद' – इन शब्दों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। एक व्याख्या में **'25 अक्टूबर 1980 तक और उसके बाद'** वनों के रूप में दर्ज सभी भूमि शामिल हो सकती है। हालांकि, यदि प्रस्तावित संशोधन का मूल इरादा यह है, तो '25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद' इस शब्दावली जिसमें अवधि है- को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की भूमि को बाहर रखना उद्देश्य नहीं हैं तो फिर कट-ऑफ तिथि देना व्यर्थ है। अनुच्छेद में तारीख को बनाए रखने से भ्रम पैदा हो सकता है और इसकी गलत व्याख्या हो सकती है।

इस नए उप-खंड की व्याख्या दूसरी तरह से भी की जा सकती है – जिसमें **'25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद' वनों के रूप में दर्ज की गई भूमियों को शामिल किया है**। यह इस खंड की सबसे गलत व्याख्या होगी और गोदावर्मन के फैसले के बाद से संरक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश अवर्गीकृत वनों को खतरे में डाल देगी। इसमें IFA की धारा 4 और धारा 20 के तहत अभी तक अधिसूचित वन और 25 अक्टूबर 1980 से पहले विभिन्न सरकारी अभिलेखों में दर्ज भूमि शामिल हो सकती है- जिनमें से सभी को गोदावर्मन फैसले के तहत सुरक्षा मिली थी। यह खंड वन भूमि के एक बड़े हिस्से को, मौजूदा अधिनियम से छूट देकर, खतरे में डाल देगा। इससे बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी, मौजूदा जंगलों का विखंडन होगा और जैव विविधता और अन्य पारिस्थितिक सेवाओं को अपूरणीय नुकसान होगा।

25 अक्टूबर 1980 से पहले सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज भूमि के महत्व को स्वीकार करना मौजूदा वनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से कई 'अवर्गीकृत वन' हैं – यानी ऐसी वन भूमि जो कानून के तहत RF या PF की श्रेणी में दर्ज नहीं है। ऐसी बहुत सी भूमि 1980 से पहले के दशकों/वर्षों के सरकारी दस्तावेजों में 'झुडूपी जंगल', 'झाड़ के जंगल' और अन्य स्थानीय शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भी अंकित हैं।

FSI की सबसे हाल की "इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट" (2021) के अनुसार, 7,75,288 वर्ग कि.मी. के कुल वन क्षेत्र में से भारत का, 1,20,753 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र 'अवर्गीकृत वनों' की श्रेणी में आता है। इस प्रकार, 'अवर्गीकृत वन' भारत के कुल वन आवरण का लगभग 15% हिस्सा हैं, और कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'अवर्गीकृत वन' उनके कुल वन आवरण का बहुत बड़ा भाग हैं। इनमें से कुछ राज्य भारत में सबसे अनोखे और लुप्तप्राय जैव विविधता समृद्ध (जैव विविधता हॉटस्पॉट) क्षेत्रों में गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत में, नागालैंड के 97.2%, मेघालय के 88.2%, मणिपुर के 75.6%, अरुणाचल प्रदेश के 53% और असम के कुल वन के 33.4%, 'अवर्गीकृत वन' की श्रेणी में आते हैं। चिंता का विषय यह है कि ऐसी अधिकांश भूमि को FCA से छूट दी जा सकती है क्योंकि वे 1980 से बहुत पहले वनों के रूप में दर्ज हैं। FSI की '"इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट" (2021) में दिए अवर्गीकृत वनों और अधिसूचित वनों के अनुपात को दर्शाता राज्य-वार सारांश, संलग्न है।

2.3 ऐसे वनों से जुड़ी चिंताएं जो न तो वनों के रूप में अधिसूचित ना ही दर्ज किए गए

कई राज्यों में, अलग-अलग प्रकार के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनको वनों की श्रेणी में मान्यता तो प्राप्त नहीं है पर इनका संरक्षण और प्रबंधन 'वन भूमि' के रूप में किया जा रहा है। उनमें से कुछ में पारंपरिक तौर से पूजे जाने वाले पवित्र उपवन (*अंग्रेजी: सेक्रेड ग्रोव*) और निजी तौर पर प्रबंधित भूमि भी शामिल हैं जिनको पर्यावरण की नज़र से उच्च मूल्य का माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक के कोडागु जिले के कुल भूभाग 4,097 वर्ग कि.मी. में से केवल 1,439 वर्ग कि.मी. ही अधिसूचित वन है। जिले में बाकी के अच्छे जंगल निम्न प्रकार से वर्गीकृत भूमि में पाए जाते हैं - बने भूमि (867 वर्ग कि.मी.), पैसारी भूमि (772 वर्ग कि.मी.), देवरकाडु (30 वर्ग कि.मी.), उरुदवे (35 वर्ग कि.मी.), उरुगुप्पे (4 वर्ग कि.मी.) आदि। सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे कई पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वनों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और राज्यों द्वारा आसानी से गैर-वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 1,463 हेक्टेयर मैनग्रोव क्षेत्रों को वन के रूप में अधिसूचित किया है, जबकि एक बड़े हिस्से को वन के रूप में अधिसूचित किया जाना बाकी है।[10] वन कानून के तहत मैनग्रोव की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए कई राज्यों ने अभी तक ऐसे कदम नहीं उठाये हैं। बेंगलुरु में हेसरघट्टा घास के मैदान एक और उदाहरण हैं।[11] यहां राज्य ने अभी तक इस क्षेत्र को वनों के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। गुरुग्राम में मांगर बनी का पवित्र माना जाने वाला जंगल, वन्यजीवों से समृद्ध है लेकिन 'गैर मुमकिन पहाड़' के रूप में दर्ज है। इसे राज्य द्वारा वन के रूप में मान्य किया जाना बाकी है।[12] इसी प्रकार, सरकार द्वारा 50,000 एकड़ अरावली क्षेत्रों के वनों की श्रेणी का निर्धारण किया जाना बाकी है।[13] पश्चिमी राजस्थान में झाड़ीदार भूमि के बड़े हिस्से को स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ियों से जंगलों के रूप में प्रबंधित किया गया है। यह भूमि गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर खड़े 'सन चिड़िया/ गोडावण' (*अंग्रेजी: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड*) के आखरी आवास स्थलों में से एक होने के बावजूद इन्हें अभी तक जंगल के रूप में कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के ओरान और रुंध क्षेत्र का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 'डीम्ड वन' घोषित करने का निर्देश दिया है।[14] इसी प्रकार, देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे झाड़ियों के जंगल, झीलों, पहाड़ों को न तो वन माना है और ना ही वन भूमि के तौर पर अधिसूचित किया गया है।

ऊपर दिए उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि औपचारिक रूप से अधिसूचित और घोषित वन भारत के वन आवरण का

---

[10] '1,463 Hectares of Mangrove Cover Notified by Maharashtra Government as "reserved" Forest | Navi Mumbai News - Times of India' <https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/1463-hectares-of-mangrove-cover-notified-by-maharashtra-government-as-reserved-forest/articleshow/92890089.cms> accessed 16 May 2023

[11] 'Bengaluru: Plea to Notify Hesaraghatta Grassland as Reserve | Bengaluru News - Times of India' <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/bengaluru-plea-to-notify-hesaraghatta-grassland-as-reserve/articleshow/93842185.cms> accessed 16 May 2023

[12] As per discussion with Mr Chetan Aggarwal

[13] 'Haryana seeks to limit 'Aravalis' to only the stretches in Gurugram - Times of India' <https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/haryana-seeks-to-limit-aravalis-to-only-stretches-in-gurugram/articleshow/61908385.cms> accessed 16 May 2023

[14] 'Lack of Registration for Oran Land in Rajasthan Threatens Wildlife Conservation' <https://www.landconflictwatch.org/conflicts/lack-of-registration-for-oran-land-in-rajasthan-threatens-wildlife-conservation> accessed 16 May 2023

सिर्फ एक हिस्सा हैं। वनों का एक बड़ा भाग किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन जंगल के रूप में मौजूद रहता है। किसी भी क्षेत्र के प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के अलावा ऐसी भूमि में कई पारंपरिक उपवन भी शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र शहरीकरण और अन्य निर्माण की चपेट में आने के खतरे में रहते हैं क्योंकि राज्य उन्हें वनों के रूप में मान्यता देने में विफल रहे हैं। इस तरह के जंगल न केवल जैव विविधता से भरपूर और महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास हैं, बल्कि देश के लिए पारिस्थितिक सेवाओं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्बन संग्रह के लाभों को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

फोटो 1. बाएं: जैसलमेर, राजस्थान में ओरान (फोटो: पार्थ जगानी/ मोंगाबे इंडिया); दाएं: गुरुग्राम में मांगर के जंगल (फोटो: विजय धस्माना)। इन दोनों भूदृश्यों को अभी तक 'जंगल' का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

फोटो 2. बेंगलुरु, कर्नाटक में हेसरघट्टा घास के मैदान (फोटो- देबादित्यो सिन्हा)। घास के मैदान को शहरीकरण और वृक्षारोपण से गंभीर रूप से खतरा है।

2.4 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर-वन उपयोग के लिए हस्तांतरित वनों से जुड़ीं चिंताएं

धारा 1क का प्रावधान उन वन भूमि के लिए FCA के उपयोग से छूट देता है, जिन्हें 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के किसी आदेशानुसार वन उपयोग से गैर-वन उपयोग के उद्देश्य में बदल दिया गया है। यह 12 दिसंबर 1996 को *गोदावर्मन के फैसले* से पहले गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित वनों को FCA की धारा 2 के तहत राज्य से अनुमति आदेश प्राप्त करने के प्रावधान से स्पष्ट रूप से छूट देता है।

ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां राज्य सरकारों ने अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वनों के रूप में दर्ज भूमि को अवैध रूप से गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित किया है। प्रस्तावित संशोधन ऐसे हस्तांतरण को वैध बनाने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि FCA का प्राथमिक उद्देश्य वनों की कटाई पर रोक लगाना है, और किसी भी कानूनी व्याख्या को अधिनियम की मंशा को पूरा करने और लागू करने में मदद करनी चाहिए।[15] शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार जब कोई भूमि अधिनियम की धारा 2 के तहत योग्य हो जाती है, तो राज्य 25 अक्टूबर 1980 से केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं।[16]

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी कई वन भूमि को 12 दिसंबर 1996 से पहले या 1980 में FCA के पहले भी राज्यों द्वारा वृक्षारोपण, खनन आदि गतिविधियों के लिए पट्टे पर दिया गया था। उदाहरण के लिए, पेरियार टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में एक गावी नामक RF क्षेत्र को 1980 से पहले इलायची की खेती के लिए केरल वन विकास निगम को पट्टे पर दिया गया था। चूंकि इसकी लीज़ 2026 में समाप्त होने वाली है, इसके बाद अधिनियम की धारा 2 के तहत नई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे कई पट्टे (लीज़) वाले वन क्षेत्र स्थायी रूप से गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित हो सकते हैं।[17] इससे पट्टे धारकों को ऐसे पौधारोपण के लिए दी गयी भूमि को दुसरे गैर वन कार्यों जैसे पर्यटन या अन्य निर्माण के लिए उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। इसलिए प्रस्तावित संशोधन गोदावार्मन निर्देश और वन संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

---

[15] Ambica Quarry Works v. State of Gujarat, [1987] 1 SCC 213

[16] Narinder Singh v. Divesh Bhutani, [2022] SCC OnLine SC 899

[17] Consultation with Prerna Bindra, based on her representation co-authored with Prakriti Srivastava on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

2.5 सुझाए गये बदलाव

धारा	विधेयक में दिए संशोधन	सुझाव
1क(1)	निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात — : (क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है; (ख)वह भूमि, जो उपबंध(क) के अधीन नहीं आती है, किन्तु 25 अक्तूबर 1980 को या उसके बाद किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गयी है	निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात — : (क) वह भूमि जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है अथवा घोषित या अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया में है। (ख) वह भूमि जो उपबंध (क) में नहीं आती पर जो किसी भी सरकारी रिकार्ड में वन के रूप में दर्ज है चाहे इसका स्वामित्व अधिकार किसी के भी पास हो। (ग) वह भूमि जो उपबंध (क) और (ख) में नहीं आती परन्तु अपने पारिस्थिकीय या पारम्पारिक मूल्यों के मद्दे नज़र किसी स्थानीय समुदाय द्वारा वन भूमि मान्य हो। (घ) वह भूमि जो उपबंध (क), (ख) और (ग) में नहीं आती पर कानून की धारा 2 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए चिन्हित या इस्तेमाल में हो।
	परन्तु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन से गैर वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है; और	**संशोधन से हटाया जाये**

	स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -, 'सरकारी अभिलेख' पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है.	**कोई बदलाव नहीं**

3. धारा 1क (2) पर टिप्पणियाँ

प्रस्तावित संशोधन (नया जोड़ा गया उपबंध)	1(क)(2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होगी, अर्थात : (क) रेललाइन या सार्वजनिक सड़क, जिसका अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है, के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख सुविधाओं के लिए, प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुँच प्रदान करती है; (ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष या वन रोपण जो उपधारा (1) के खंड में विनिद्रिष्ट नहीं (ख) या खंड (क) है; और (ग) ऐसी वन भूमि, - (i) जो राष्ट्रीय महत्ता की सामरिक लीनियर परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या (ii) जो सुरक्षा सम्बन्धी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है; या (iii) जो रक्षा सम्बन्धी परियोजना या अर्द्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिद्रिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है। (3) उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकार के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी।
मुख्य चिंताएं	क. नये संशोधन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के विपरीत हैं और यह मौजूदा नियंत्रण के उपायों को सभवतः छूट दे कर FCA के लिए भी प्रतिगामी हो सकता है। ख. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर को पहले ही केंद्र सरकार द्वारा 'सामान्य अनुमोदन' योजना के तहत शीघ्रता से अनुमति दी जा रही है। इस परिस्थिति में ऐसी खुली छूट अनुचित और अवांछित है। ग. अन्य सुरक्षा और रक्षा संबंधी निर्माण, लोकोपयोगी परियोजनाओं और सड़क के किनारे की जन-सुविधाओं के लिए छूट प्रतिगामी और FCA के उद्देश्य के विपरीत है।

	घ. नए परिवर्तन वन क्षेत्रों को विखंडित करेंगे और वन्यजीव आवासों और उनके गलियारों के लिए हानिकारक होंगे। ङ. वृक्षारोपण से पुराने प्राकृतिक वनों के पारिस्थितिक और जैव विविधता के लाभ नष्ट होने के बाद दोबारा बहाल नहीं होते।

इस धारा के तहत प्रस्तावित संशोधन अनुचित हैं और FCA की प्रस्तावना और उद्देश्य के विपरीत हैं। FCA की धारा 2 के तहत सुरक्षा संबंधी सभी गतिविधियों को पहले से ही शीघ्र अनुमति देना सक्रिय तौर पर जारी है। वन संरक्षण अधनियम से ऐसी व्यापक छूट से जंगलों का भयंकर विखंडन होगा और वन्यजीव आवासों और रास्तों-गलियारों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा। इतनी सारी गतिविधियों की श्रृंखला को नियंत्रण प्रणाली से छूट देना भी वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए सरकार बतौर अभिरक्षक संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्धहै । प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों की गयी है।

3.1 सड़क के किनारे जन सेवाओं के निर्माण को लेकर चिंताएं

आम धारणा में सड़क के किनारे की जन सेवाओं के निर्माण में पेट्रोल पम्प और विश्राम ग्रह जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित *'राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश'* देख कर समझ आता है कि इनमें कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं।[18] इस दिशानिर्देश में फ़ूड कोर्ट/ होटल/ कारीगरों की प्रदर्शनी के लिए 1000 वर्ग फीट तक की जगह और भूनिर्माण आदि अनिवार्य सुविधा श्रेणी में शामिल है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य-राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़क के किनारे की 'सुविधाओं' के वर्णन में ढाबों, कारों, बसों और ट्रकों के लिए अलग पार्किंग, बेंच और टेबल के साथ खुली हवा में विश्राम क्षेत्रों, ट्रक और वाहान चालकों और अन्य लोगों के लिए शयनगृह को शामिल किया गया है।[19] इस प्रकार की सुविधाएं राजमार्गों के किनारे धीरे-धीरे आबादी वाले बस्ती बनने की संभावनाएं पैदा करती हैं और इस तरह की लीनियर परियोजनाओं के साथ इन सुविधाओं के फैलाव के संबंध में स्पष्टता न होने से वन क्षेत्रों पर निर्माण कार्य से सत्यधिक क्षति होने का खतरा बन जाता है।

---

[18] Circular, Ministry of Road Transport and Highways of India, 1478967/2021/RO Patna, 11th February 2021, Policy Guidelines for Development of Wayside Amenities along National Highways and Expressways, <https://morth.nic.in/sites/default/files/circulars_document/Policy%20Guidelines%20for%20Devel> accessed 10 May 2023

[19] Uttar Pradesh, Public Works Department, Development of road side amenities along the State Highways and Major District Roads across the State, <http://uppwd.gov.in/site/writereaddata/siteContent/20191130161924870 1BACKGROUND%20NOTE-1.pdf> accessed 10 May 2023

फोटो 3. ओडिशा के गंजम में एक साथ चलती हुयी रेलवे लाइन और सड़क वन भूमि को खंडित करते हुए है। 2012 में इस इलाके में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 6 हाथियों के झुंड की मौत हो गई थी। (फोटो- देबादित्यो सिन्हा)

भारत में सड़कों का जाल 63,31,791 कि.मी. में फैला है, जिसका लगभग 60,20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं हैं।[20] ये मुख्य रूप से जिलों की और ग्रामीण सड़कें हैं, जो 'सरकार द्वारा अनुरक्षित' हैं। इसी तरह, 2020 तक, भारतीय रेलवे की रूट लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर में फैली है।[21] इस विशाल सड़क और रेल नेटवर्क के साथ लगती वन भूमि को आवास और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

पहले ही देश के संवेदनशील जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के बीच से कई रेलवे लाइनें और सड़कें गुजरती हैं। आने वाले सालों में अधिक सड़क और रेल निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिससे देश के अन्य हिस्सों में भी वनों का विखंडन होगा और वन्यजीव भी प्रभावित होंगे।[22] सड़कों के किनारे के क्षेत्रों को किसी भी तरह की छूट देने से न केवल बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी, बल्कि जंगलों में कई तरह की नयी परेशानियां पैदा होगी और वन्यजीवों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, ऐसा दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर-क्षेत्र से गुजरने वाली रेलवे लाइन के साथ के क्षेत्रों में ऐसी छूट का उपयोग करते हुए निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।[23]

सड़क/ रेल के साथ-साथ वन भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से वन्यजीवों के आवासों का विखंडन होगा जिससे अपूरणीय हानि होगी। उदाहरण के लिए, हूलॉक गिब्बन, जो उत्तर-पूर्व भारत की पेड़ में रहने वाली वनमानुष कि प्रजाति जिसको असम के गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में एक रेलवे लाइन के निर्माण से वन आवरण में विखंडन

---

[20] Ministry of Road Transport and Highways, Annual Report 2022-23, <https://morth.nic.in/sites/default/files/MoRTH%20Annual%20Report%20for%20the%20Year%20> accessed 10 May 2023

[21] The Network, 'Indian Railways Civil Engineering Portal' < https://ircep.gov.in/AboutUs.html%3e> accessed 16 May 2023

[22] 'Factsheet Details': <https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148574> acessed; ANI, 'Railways Targets 7,000 Km New Railway Tracks in FY 2023-24' (ThePrint, 3 February 2023) <https://theprint.in/india/railways-targets-7000-km-new-railway-tracks-in-fy-2023-24/1352986/> accessed 16 May 2023

[23] 'You Will Soon Be Able to Travel through Dudhwa Tiger Reserve in Vistadome Coaches' The Times of India < https://timesofindia.indiatimes.com/travel/travel-news/you-will-soon-be-able-to-travel-through-dudhwa-tiger-reserve-in-vistadome-coaches/articleshow/86289853.cms> accessed 16 May 2023

से अत्यधिक नुकसान हुआ है। कथित तौर पर हूलॉक गिबन के 5 परिवार एक छोटे से वन क्षेत्र में फंसे हुए हैं, और गिबन ने खंडित जंगलों के बीच चलने के लिए वन विभाग द्वारा निर्मित पुल का उपयोग कभी नहीं किया है।[24]

जबकि कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां इस तरह के लीनियर निर्माण कार्यों ने स्थानिक वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए किये गये दशकों पुराने संरक्षण प्रयासों को प्रभावित कर उलट ही दिया है। कई मामलों में सड़कें और रेलवे, संरक्षित प्रजातियों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019-2021 के बीच रेल हादसों में 45 हाथियों और 2010-2021 के बीच 26 बाघों की मौत हुई।[25]

इस प्रकार वनों से गुजरने वाली सड़कों/रेलवे लाइनों के साथ-साथ सड़क के किनारे सुविधाओं के नाम पर किसी भी प्रकार के विकास और निर्माण कार्य करना सरकार की नीति के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस तरह के लीनियर निर्माण कार्य पहले से वनों और वन्य जीवन को होने वाले नुकसान को बढ़ाने का काम करेंगे।

FCA की शर्तों के मुताबिक़ सख्त प्रभाव मूल्यांकन के बाद ही सड़कों और रेलवे के साथ ऐसी भूमि को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। संशोधन में किसी भी प्रकार की पूर्ण छूट का सुझाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह FCA के उद्देश्य के गैर संगत है। सड़कों का विकास जब आस-पास के गाँवों या मानव आवासों तक पहुँच के लिए हो तो वन भूमि हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 2 के तहत वन मंजूरी की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति दी जानी चाहिए जिससे वन और वन्यजीवों को कम से कम नुकसान हो।

3.2 वृक्षारोपण और पुन:वनीकरण के लिए भूमि को ले कर चिंताएं

आम भाषा में, वनीकरण और पुनर्वनरोपण के अलग-अलग अर्थ हैं। आमतौर पर, वनीकरण का अर्थ है गैर-वन भूमि पर पेड़ लगाना, जबकि पुनर्वनरोपण में ऐसी भूमि पर पेड़ लगाना शामिल है जो पहले कभी वन थे। इस संबंध में FCA की उपयुक्तता महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पुनर्वनरोपण के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी भूमि जो वन के रूप पहले से अधिसूचित या दर्ज है, वह FCA के प्रावधानों के तहत संरक्षित की जाएगी। साथ ही, FCA की धारा 2 के तहत गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के बदले हुए क्षतिपूरक वनीकरण ("**CA**") के उपयोग में ली जाने वाली भूमि पर कानूनी सुरक्षा के प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए। FCA 1980 और वन (संरक्षण) नियम, 2022 ("**नियम**") में 'पुनः वनीकरण' की परिभाषा अस्पष्ट होने का दुरुपयोग ऐसी भूमि को प्रावधानों से छूट देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि कोई भी भूमि चाहे वो पहले किसी भी उपयोग में क्यों न हो पर यदि पुनर्वनरोपण या क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य किया जाता है तो इसे भविष्य में गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरण के लिए FCA के तहत विनियमित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, "पुनः वनीकरण" को FCA या इसके नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। अदालतों ने बार-बार मौजूदा कानूनी व्यवस्था के संबंध में पुनःवनीकरण की आवश्यकता का पालन करने का आदेश दिया है।[26] हालांकि, प्रक्रिया का कानूनी दायरा स्पष्ट नहीं है। न्यायालय द्वारा पुनःवनीकरण का अर्थ - "देसी प्राकृतिक वृक्षों के साथ मौजूदा वन और आर्द्रभूमि का पुनर्संग्रहण" – के तौर पर समझाया गया

---

[24] Bhattacharya M, 'Offtrack in Hollongapar Gibbon Sanctuary | RoundGlass Sustain' (30 September 2021) <https://roundglasssustain.com/conservations/hollongapar-gibbon-sanctuary-railway-line> accessed 16 May 2023

[25] '45 Elephants Killed in Train Accidents in 2019-2021: Govt' (The Indian Express, 4 August 2022) <https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/45-elephants-killed-train-accidents-in-2019-2021-govt-8071210/> accessed 16 May 2023

[26] NHAI v. Pandarinathan Govindarajulu, [2021] 6 SCC 693

है परन्तु शब्दकोश में पुनःवनीकरण का अर्थ "पुनर्वनीकरण" का इस्तेमाल परस्पर किया जाता है।[27] इसलिए, अधिनियम को "पुनःवनीकरण" शब्द को साफ़ तरीके से परिभाषित करना होगा।

3.3. सामरिक लीनियर परियोजनाओं, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं सम्बन्धी निर्माण कार्यों से जुडी चिंताएं

क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के अनुसार, 1996-2016 के बीच, देश में खनन (4,947 वर्ग कि.मी.) के बाद सबसे अधिक वन भूमि का हस्तांतरण रक्षा परियोजनाओं के लिए (1,549 वर्ग कि.मी.) हुआ है।[28] इस तरह की परियोजनाओं को नियमों में छूट देकर अधिनियम की धारा 2 के तहत पहले ही शीघ्र अनुमति दी जा जाती है। ऐसे मामलों में, कोई भी व्यापक तौर पर पूरी छूट देना अनुचित है। प्रस्तावित उपखंडों के तहत प्रत्येक उप-खंड से संबंधित चिंताओं पर आगे विस्तृत में चर्चा की गई है।

I. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा (LOC) या वास्तविक नियंत्रण (LAC) रेखा के साथ 100 किलोमीटर तक क्षेत्र में आने वालीं रणनीतिक/रक्षा संबंधी लीनियर परियोजनाओं के लिए छूट

इस उपधारा में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा ("**LOC**") या वास्तविक नियंत्रण ("**LAC**") रेखा के साथ 100 किलोमीटर तक क्षेत्र में आने वाले वन भूमि पर रणनीतिक/रक्षा संबंधी लीनियर परियोजनाओं के निर्माण के लिए धार 2 के अंतर्गत मंज़ूरी से छूट दी गयी है।

भारत की अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिमालय और उत्तर-पूर्व भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में है, जहां भूकंपीय जोखिम, जलवायु संकट के चलते चरम मौसमी घटनाओं में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।[29] यह क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं जहां रेड पांडा, हिम तेंदुआ, हंगुल, चिरु (तिब्बती मृग), मार्खोर, हूलॉक गिबन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के स्थानिक वन्यजीव व वनस्पति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल है, जिसके नष्ट होने से देश की जल सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अकेले हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारत के कुल वन आवरण का लगभग 30% हिस्सा है, जिनमें से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय सीमा या LAC/LOC से 100 कि.मी. के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, पश्चिमी सीमा पर भी स्थानिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में थार और कच्छ के इलाके शामिल हैं, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोडावन और घुड़खर सहित कई अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए जाने जाते है। राजस्थान के ओरान हमारे 'मरुद्भिद पारिस्थिति तंत्र' के वनस्पतियों के आखरी पर्यावास हैं, जो कि पशुपालक समुदायों के लिए बहुत जरूरी है एवं वह इन

[27] A. Chowgule & Co. Ltd. v. Goa Foundation, [2008] 12 SCC 646
[28] Himadri Ghosh, 'In Just 30 Years, India Has Lost Large Forests to 23,716 Industrial Projects' (Scroll.in, 4 June 2016) < http://scroll.in/article/809286/in-just-30-years-india-has-lost-large-forests-to-23716-industrial-projects> accessed 16 May 2023
[29] 'Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation | Climatology and Climate Change' (Cambridge University Press) <https://www.cambridge.org/ch/academic/subjects/earth-and-environmental-science/climatology-and-climate-change/managing-risks-extreme-events-and-disasters-advance-climate-change-adaptation-special-report-intergovernmental-panel-climate-change?format=PB&isbn=9781107607804#jjGFKbWqcJdk3GmC.97> accessed; Roy S and Roy S, 'Spatial Patterns of Long-Term Trends in Thunderstorms in India' (2021) 107 Natural Hazards 1

क्षेत्रों पवित्र स्थल भी मानते हैं।

इसी प्रकार, भारत के तटीय क्षेत्रों के वन, दुनिया के सबसे अधिक उपजाऊ भूमि-जलीय पारिस्थितिकी तंत्र माने जाते हैं और चक्रवातों के खिलाफ अवरोधक का काम करते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में 'लीनियर' परियोजनाओं के लिए यदि व्यापक छूट दी जाती है तो दुनिया में और कहीं न पाए जाने वाले इन अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों और जैव विविधता की रक्षा के दशकों के संरक्षण प्रयासों को क्षति पहुंचेगा। ऐसे क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं और भारत की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं।

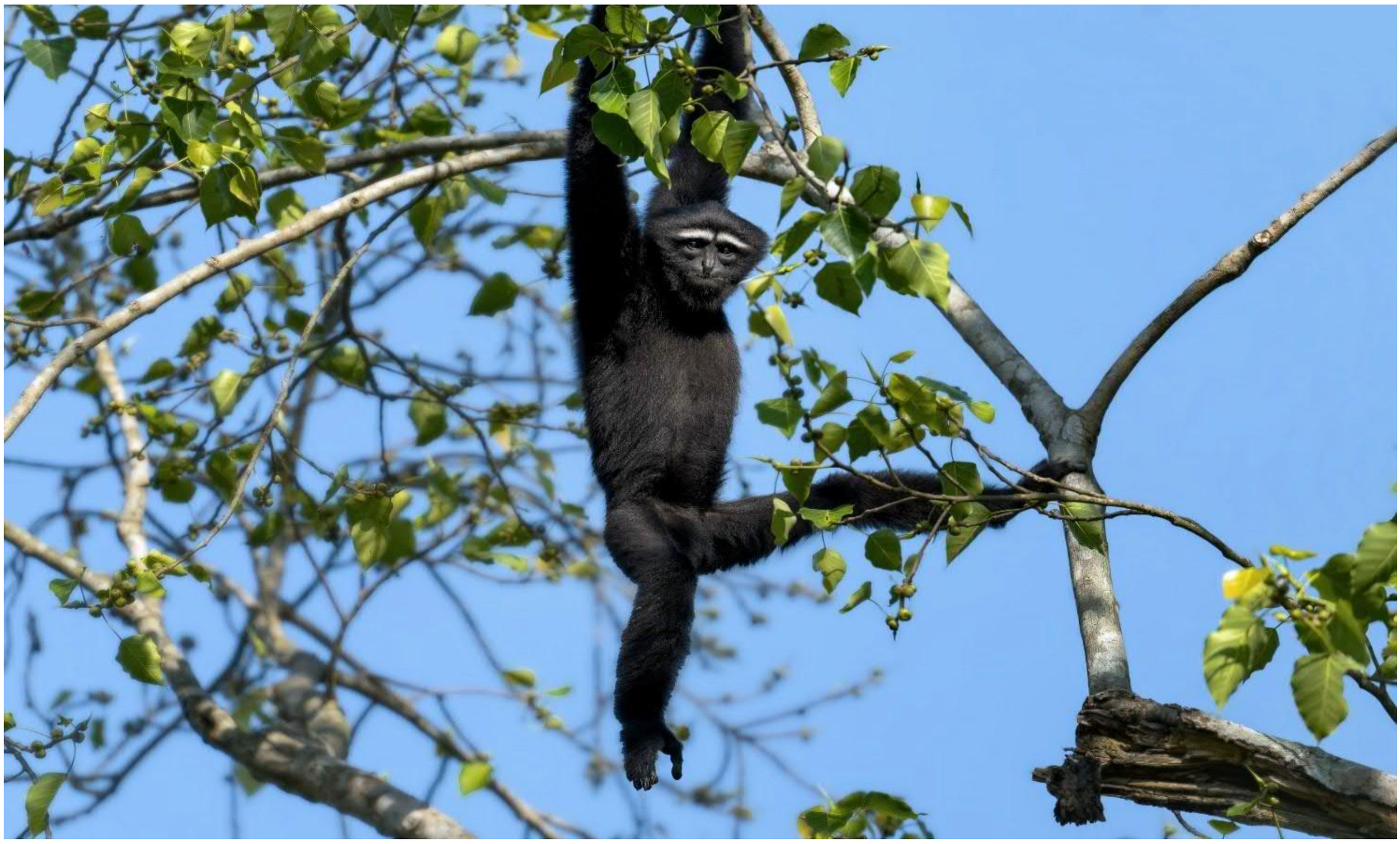

फोटो 4. हूलॉक गिब्बन भारत में पाए जाने वाली वनमानुषों की एकमात्र प्रजाति है, जो उत्तर-पूर्वी भारत के जंगलों तक सीमित है। ये विशेष रूप से वानस्पतिक जीव हैं और इन्हें शाखाओं के लिए ऊँचे घने जंगलों की आवश्यकता होती है। ऐसे जंगलों का विखंडन उनके अस्तित्व को खतरे में डाल देगी (फोटो- देबादित्यो सिन्हा)

हिमालय और उत्तर-पूर्वी भारत में आधारभूत संरचना और लीनियर विकास परियोजनाओं में विस्फोट और उत्खनन, सुरंगों का निर्माण, नदियों पर बाँध बनाने आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिससे इन क्षेत्रों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील परिदृश्य को पहले ही काफ़ी क्षति पहुंची है। पहाड़ों की खुदाई और कटान से निकलने वाले मलबे को सड़कों के किनारे फेंका जाना, इन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नुकसान को बढ़ाता है। यह मलबा न केवल पहाड़ और नदी के किनारों को हानि पहुंचाता है बल्कि जल तंत्र को बिगाड़ता है। उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में यही बादल फटने और हिम-स्खलन की घटनाओं के दौरान आपदाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के विकास से भूस्खलन और गंभीर बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव विकराल रूप धारण करते हैं।[30] उदाहरण के लिए, कश्मीर भूकंप के बाद अध्ययन किए

---

[30] 'DRP NB 31 August 2020: No Rule of Environment Law in Char Dham Highway – SANDRP' <https://sandrp.in/2020/08/31/drp-nb-31-august-2020-no-rule-of-environment-law-in-char-dham-highway/> accessed 16 May 2023; 'The Road So Far: Forest Rights Act In J&K' (Outlook India) <https://www.outlookindia.com/national/the-road-so-far-forest-rights-act-in-j-k-news-286443> accessed 16 May 2023; 'Uttarakhand, Himachal Pradesh See Huge Rise in Landslides' (The New Indian

गए आधे से ज्यादा भूस्खलन मानव गतिविधियों के साथ जुड़े पाए गये थे।[31] इस तरह की भूस्खलन आपदाओं में बुनियादी ढांचे - जो सीमान्त गांवों और सेना स्थलों को दुनिया से जोड़ती हैं– को भी नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में अबाधित वनों के कटान और बुनियादी ढांचे के विकास से पर्यावरणीय आपदाओं की तीव्रता बढ़ने और रक्षा के ढांचों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। FCA के तहत ऐसी परियोजनाओं के आंकलन के बाद ही पर्यावरणीय आपदाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने कई बार रक्षा-संबंधी निर्माण कार्यों के लिए छूट प्रदान की है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2014 में, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ("**MoEFCC**") ने विभिन्न सुरक्षा-संबंधित संस्थानों को LAC से 100 किमी की हवाई दूरी में दो-लेन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के लिए 'सामान्य स्वीकृति' प्रदान की।[32] सड़क और सीमा चौकियों, बाड़ लगाने, फ्लडलाइट, निगरानी और बिजली के बुनियादी ढांचे सहित सीमा-सुरक्षा संबंधी निर्माण को भी सामान्य मंजूरी दी गई है। जनवरी 2015 में, सशस्त्र सीमा बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 5 किमी हवाई दूरी के भीतर ऐसी गतिविधियों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के लिए सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई थी।[33]

संबंधित मंत्रालय द्वारा LAC/LOC से सटे संवेदनशील क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रभागों की एक सूची तैयार की जा सकती है और संबंधित मंत्रालयों, राज्य विभागों और स्थानीय सरकारों को विश्वास में लेते हुए ऐसे क्षेत्रों में वन मंजूरी समयबद्ध तरीके से प्रदान की जा सकती है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे मित्र देशों से सटे वन क्षेत्रों को अनावश्यक सुरक्षा ढांचों के लिए हस्तांतरण करना ज़रूरी नहीं लगता। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और अन्य वन्यजीव आवास के रूप में महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को और LAC/LOC के आस-पास के इलाके को ज्यादा आवाजाही बढाने वाले विकास से संरक्षित किया जाना चाहिए।

अधिनियम के तहत इन सभी गतिविधियों के लिए पहले से उपलब्ध छूट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को व्यापक छूट देने के लिए कोई तार्किक कारण नहीं है।

II. रक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए सामान्य छूट

5 या 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में इस तरह की छूट का लाभ उठाने के लिए प्रावधान बनाना अनुचित है। ऐसा करने से मानवजनित क्षतियों से अछूते कुछ बेहतरीन-RF क्षेत्रों के अंदर विकास-निर्माण की गतिविधियां कैंसर की तरह तेज़ी से फैल

Express) < https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/aug/15/uttarakhand-himachal-pradeshsee-huge-rise-in-landslides-2344776.html> accessed 16 May 2023

[31] Sian Hodgkins Geology for Global Development, 'Mass Movement Events in the Himalaya: The Impact of Landslides on Ladakh, India.' <https://www.geolsoc.org.uk/~/media/shared/documents/Events/Past%20Meeting%20Resources/Himalaya%2014%20Landslides%20in%20Ladakh.pdf> accessed 11 May 2023

[32] MoEFCC, F. No. 11-246/2014-FC, 4 November, 2017, 'General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land' <https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/public_display/schemes/677288723$11%20246%202014.pdf> accessed 11 May 2023

[33] MoEFCC, F. No. 11-246 2014-FC, 29 January 2015 'General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land' <https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/public_display/schemes/371830551$11%20246%202014%20ii.pdf> accessed 11 May 2023

सकती हैं। उदाहरण के लिए, परियोजना एजेंसियां एक बड़ा निर्माण न कर 10-10 हेक्टेयर के निर्माण को विभिन्न चरणों में विकसित कर सकती हैं। साथ ही, ऐसे परियोजनाएं कभी एक कार्य के लिए नहीं बनेंगी। सुरक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनी बसाहट को बिजली, पानी, अपशिष्ट निपटाने की सुविधाओं, सड़कों, ईंधन आपूर्ति, आपातकालीन भंडारण, पार्किंग सुविधाओं आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। कुल मिला के इन सब गतिविधियों के वनों और वन्य जीवन पर बड़े प्रभाव पड़ते हैं। कुछ संवेदनशील प्रजातियों को जंगलों में लोगों और भारी वाहनों की आवाजाही का काफी प्रभाव पड़ता है। इस तरह की व्यापक छूट RF के साथ-साथ वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयासों को खतरे में डाल देगी।

FCA के तहत सुरक्षा संबंधी बुनियादी निर्माण कार्यों के लिए पहले से ही अनुमति दी जा रही है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अवांछित निर्माण से बचा जा सके और यूज़र एजेंसियां क्षतिपूर्ति के उचित प्रयास करें। परन्तु, ऐसी गतिविधियों के लिए परियोजना-दर-परियोजना कोई भी अनुमति अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए ही दी जानी चाहिए।

III. सार्वजनिक सेवाओं की परियोजना में छूट

प्रस्तावित संशोधन में 'सार्वजनिक उपयोगिता' को परिभाषित नहीं किया गया जिसकी बजह से इसके कई अर्थ निकाले जा सकते है। आमतौर पर 'सार्वजनिक उपयोगिता' में वे सेवाएँ शामिल होती हैं जिन्हें सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी समझती है। इसमें परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, अस्पताल, बीमा सेवा आदि शामिल हैं।[34] यह तो वस्तुतः वनों के भीतर उपनगर स्थापित करने की अनुमति देने के बराबर होगा।

इस तरह की पूर्ण छूट न केवल अनुचित, अवांछनीय हैं बल्कि FCA के उद्देश्य के लिए गैर-संगत, प्रतिगामी और वैधानिक अधिकारों के विपरीत भी हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई भी अनुमति अधिनियम की धारा 2 के तहत उचित प्रक्रिया के प्रावधानों का पालन करते हुए परियोजना वार दी जानी चाहिए।

IV. वनों के दोहन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण और वानिकी गतिविधियां कार्यों से जुड़ी चिंताएं

भारत में क्षतिपूर्ति वनीकरण की गतिविधियां विकास कार्यों में नष्ट हुए वनों और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः जीवित करने में असफल रही हैं और इनसे प्राकृतिक जैव विविधता की पुनःसंरचना संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू वृक्षारोपण की योजनाओं के तहत कुछ तेज़ी से बढ़ने वाली विदेशी प्रजाति की वनस्पतियों को रोपा जाता है जो आर्थिक और प्राकृतिक रूप से क्षति ही करती हैं। ऐसी परियोजनाएं अच्छे खासे वनों के मूल्यों और स्थानीय समुदायों को इनसे हो रहे फायदों की अनदेखी कर इनको एक ही प्रकार के पेड़ों की खेती में बदल देती हैं। इससे वन आधारित समुदायों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ता है।[35]

प्राकृतिक वनों का विविध वनस्पतियों और वन्यजीवों के चलते अपना एक जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र होता है जिससे कार्बन पृथक्करण, मिटटी उर्वरक क्षमता, जल और वायु नियंत्रण की पर्यावरणीय सेवाएं प्राप्त होती हैं। वृक्षारोपण से बने वनों से भले ही कुछ लाभ हों लेकिन कभी भी इस स्तर की प्राकृतिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। उलटा वृक्षारोपण से भारी मशीनों,

---

[34] The Legal Services Authorities Act 1987, s 22A (b)

[35] M.K. Ranjitsinh et.al., Compensatory Conservation in India: An Analysis of the Science, Policy and Practice- Report submitted to Hon'ble Supreme Court of India pursuant to the directions dated 25 March 2021 in SLP (Civil) No. 25047 of 2018

रासायनिक खाद, सिंचाई और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी का कटाव, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने, आस-पास के जल स्त्रोत प्रदूषित होने एवं मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने जैसे प्रभाव पड़ सकते हैं।

विविध वन्यजीवों के अलग-अलग प्रकार की आवासीय ज़रूरतों को वृक्षारोपित वन कभी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें प्राकृतिक वनों की संरचनात्मक जटिलता और विविधता नहीं होती है। प्राकृतिक वनों में जंगल की बनावट में ज़मीन से ले कर ऊपर पेड़ों के शामियाने तक अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग प्राणियों के आवास होते हैं। इसके मुकाबले वृक्षारोपित वन का अमिश्रित ढांचा और प्रकार होता है जो दोनों पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

अतः संरक्षण के सन्दर्भ में प्राकृतिक वनों की सुरक्षा और इनको बचा कर पुनःजीवित करने को ही प्राथमिकता देना ठीक है ना कि इनको वृक्षारोपित वनों में तब्दील करना। कोई भी पुन:वनीकरण या वानिकी गतिविधियों का इस्तेमाल केवल कुदरती पारिस्थितकीय तंत्र को पुनःजीवित करने के उद्देशों से करना चाहिए। बाहरी प्रजाति की वनस्पतियों को रोप के कुदरती पेड़ों की चंगाई करना पक्षियों, जानवरों और कीड़े मकौड़े आदि वन्य जीवों के लिए नुकसानदेह है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।

3.4 सुझाए गये बदलाव

धारा	**विधेयक में संशोधन**	**सुझाव**
1क (2) (क)	1(क)(2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होगी, अर्थात: - (क) रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क, जिसका अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है, के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख सुविधाओं के लिए, प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुँच प्रदान करती है;	**संशोधन से हटाया जाए**
1क (2) (ख)	(ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष या वन रोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिद्रिष्ट नहीं है; और	भूमि पर ऐसे वृक्ष या वन रोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निद्रिष्ट नहीं है;
1क (2) (ग)	ऐसी वन भूमि, - (i) जो राष्ट्रीय महत्ता की सामरिक लीनियर परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या	**संशोधन से हटाया जाय**

	(ii) जो सुरक्षा सम्बन्धी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है; या (iii) जो रक्षा सम्बन्धी परियोजना या अर्द्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिद्रिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है।	
1क (3)	उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकार के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी।	**संशोधन से हटाया जाय**

4. धारा 2 पर टिप्पणियाँ

प्रस्तावित संशोधन (नये बदलाव और जोड़े गये बिंदु)	**2. वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निबन्धन––** (क) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा–– (i) कि कोई आरिक्षत वन (उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में "आरिक्षत वन" पद के अर्थ में) या उसका कोई प्रभआरिक्षत नहीं रह जाएगा; (ii) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए [36][(iii)कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, ~~जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है~~, ऐसे निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा विनिद्रिष्ट करे, समनुदेशित किया जाए; (iv) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनवर्नरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हों, काट कर साफ किया जाए।] [37][स्पष्टीकरणइस धारा के प्रयोजन के लिए–– "वनेतर प्रयोजन", –– (क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल वाले पौधे, उद्यान-कृषि फसलों या ओषधीय पौधे की खेती के लिए; (ख) पुनवर्नरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, ~~किसी वन भूमि या उसके प्रभाग को तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतगर्त वनों और वन्यजीवों के संरक्षण -, विकास और प्रबंध से संबंधित या उनसे आनुषंगिक कोई कार्य, अथार्त्, चौकीकार्यों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुलों और पुलियों, बांधों, जलछिद्रों, खाई चिन्हों, सीमा चिन्हों, पाइप लाइनों का निमार्ण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है~~ किन्तु इसके अंतर्गत वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य जैसे कि -: *(i)* वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरोद्धारअभियान भी है; *(ii)* सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए चेकपोस्ट और अवसंरचना की स्थापना; *(iii)* अग्निरेखाओं की स्थापना और अनुरक्षण;

[36] Ins. by Act 69 of 1988, s. 2 (w.e.f. 15-3-1989)
[37] Subs. By s. 2, *ibid.,* for the Explanation (w.e.f. 15-3-1989)

	(iv) बेतार संचार; *(v)* बाड़, सीमा चिन्हों और स्तम्भों, पुलों और पुलियाओं, चेक बांधों, जल गड्ढों, खाईयों और पाईप लाईनों का संनिर्माण; *(vi)* सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में स्वामित्वाधीन चिड़ियाघर या सफारी स्थापना; *(vii)* वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकीय पर्यटन (इको-टूरिस्म) सुविधाएं; और *(viii) इस प्रकार का कोई और प्रयोजन जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"]* (ख) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परिक्षण, जिसके भूकंप सर्वेक्षण, को गैरवन प्रयोजन नहीं माना जाएगा।-
मुख्य चिंताएं	क. चिड़ियाघर, सफारी, इको-पर्यटन सुविधाओं, संभावित सर्वेक्षण, अन्वेषण, आदि से जुडी छूट राष्ट्रीय वन नीति 1988 के विपरीत हैं और FCA के लिए प्रतिगामी और अधिकारातीत भी हैं क्योंकि यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों में छूट देता है। ख. संरक्षण कार्यों से जुड़ी सहायक गतिविधियों को दी गई छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है और वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण लक्ष्यों को लागू करने में उस गतिविधि की आवश्यकता को साबित करने के लिए पर्याप्त तर्क होना चाहिए। ग. सार्वजनिक परामर्श और संसदीय जांच को दरकिनार कर कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार की कार्यपालिका को 'कोई अन्य उद्देश्य' निर्धारित करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक की प्रस्तावना और धारा 2 के बीच मेल नहीं हैं। धारा 2 के तहत प्रस्तावित संशोधन, विधेयक की प्रस्तावना के तहत रखे गये लक्ष्य और अनुमानों की उपलब्धि की अनुमति नहीं देता है। इसके विपरीत, ये प्रस्तावित संशोधन वनों और वन संरक्षण को नुकसान पहुँचाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति के लिए नकारात्मक होंगे। इस खंड के तहत प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा नीचे दी गई है।

4.1 राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि को पट्टे पर लीज़ करना

'ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा कि केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है;' इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं क्योंकि धारा 2 वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य करती है। इसके अलावा, इस तरह के पट्टे केवल वनों और वन्यजीवों का संरक्षण के उद्देश्यों के लिए दिए जाने चाहिए।

4.2 उपखंड(ii)-(v) में सूचित प्रतिष्ठानों के लिए छूट

वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन से संबंधित या सहायक गतिविधियों को कानून की धारा 2 के तहत अनुमति लेने के प्रावधान से छूट दी गई है। ऐसी गतिविधियाँ सभी उपयुक्त विकल्पों की खोज करने के बाद ही करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के निर्माण कार्यों से वन्यजीवों और उनके आवागमन में कोई बाधा न आए। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का उद्देश्य वनों और वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण होना चाहिए, न कि व्यावसायिक या छुट्टियां मनाने के स्थान बनाना। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि वनों और वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यकता के रूप में इस तरह के विकास के लिए पर्याप्त तर्क दिया जाए। 'संरक्षण के सहायक' कार्यों की छूट के प्रावधान के तहत, अधिनियम में प्रमाणन प्राधिकारी को भी निश्चित करना होगा जो यह तय करेगा कि कोई कार्य वन/ वन्यजीव संरक्षण के सहायक या संबंधित कार्य की श्रेणी में आता भी है या नहीं। इस सबंध में वन्यजीव संरक्षण के मुख्य वन संरक्षक(“**CCF**”) या वन संरक्षण के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (“**PCCF”**) को प्रमाणन प्राधिकारी बनाने का सुझाव दिया जाता है।

फोटो 5. मानस टाइगर रिजर्व, असम के मुख्य क्षेत्र के अंदर निर्मित एक पर्यटक विश्राम गृह (फोटो: रोहित चौधरी/ट्विटर)

4.3 इको-पर्यटन सुविधाओं के लिए छूट

यह धारणा है कि इको-पर्यटन से स्थानीय समुदायों को जो आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है उससे वनों के संरक्षण को बल मिलता है इसलिए ऐसी गतिविधियों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन जब बाजार की मांगों और अन्य सम्बंधित विकास कार्यों के साथ मिला के देखें, तो अक्सर यह वनों की कटाई, क्षेत्र के विखंडन और वन्य जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। वास्तव में, कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इको-पर्यटन गतिविधियाँ वनों को नुकसान भी पहुँच सकती हैं।[38] इको-पर्यटन सुविधाओं को वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा डालने, भूमि उपयोग और परिदृश्य को बदलने, तथा प्रदूषित करने, मानव-वन्यजीव विवादों को बढ़ाने आदि के लिए जाना जाता है।[39][40][41] यह सड़क निर्माण के जैसे लिनीयर पर्योजनाओं के चलते वन भूमि के विखंडन को बढ़ावा देता है एवं साथ ही भूमि और जल संसाधनों पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है।

---

[38] Brandt JS and others, ‘Effects of Ecotourism on Forest Loss in the Himalayan Biodiversity Hotspot Based on Counterfactual Analyses’ (2019) 33 Conservation Biology 1318

[39] Prerna Bindra, Report on impact of tourism on tigers and other wildlife in Corbett Tiger Reserve, for Ministry of Tourism, <http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/corbett_tourism_report.pdf> accessed 13 May 2023

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-31 ("**NWAP**") में भी इसी तरह की चिंताओं को दर्शाते हुए इस बात का उल्लेख किया गया है कि हाल के वर्षों में अत्यधिक पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के चलते संरक्षित वन्यजीव अभयारण्यों (PAs) में अव्यवस्था एवं प्रबंधन संबंधी परेशानियाँ बढ़ गई है।[42] NWAP इको-पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल और विनियमित वन्यजीव-आधारित पर्यटन के रूप में परिभाषित करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी PA के पर्यटन और संरक्षण हितों के बीच कभी भी विवाद हो, तो संरक्षण के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी क्यों कि पर्यटन सेवाएं संरक्षित क्षेत्रों के लिए है न की इसका उलटा, और पर्यटन के प्रस्ताव संरक्षण हितों के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि NWAP इस बात को 'संरक्षित वन्यजीव अभयारण्यों' के संदर्भ में रखता है, परन्तु इको-पर्यटन गतिविधियों का यही प्रभाव RF/PF क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, जो संरक्षित अभयारण्यों का हिस्सा नहीं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए समान भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। जब किसी वन के भीतर इको-पर्यटन गतिविधियों को चलाया जाता है, तो वन और वन्य जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है और अधिनियम के तहत इसे 'संरक्षण' में सहायक गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि वन सीमाओं के आस-पास प्रस्तावित गतिविधयों को व्यापक वहन क्षमता अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

यह सुझाव दिया जाता है कि ईको-पर्यटन सुविधाओं की स्थापना की छूट को संशोधन से हटा दिया जाए क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के साथ गैरसंगत है। इन निर्माण कार्यों को FCA की धारा 2 के तहत वन मंजूरी की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकता है और स्थानीय परिस्थितियों और प्रभावित प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना वार निर्णय लिया जा सकता है।

4.4 चिड़ियाघर और सफ़ारी के लिए छूट

भारत में अधिकांश आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र, मानव बस्तियों से घिरे छोटे-छोटे अलग-थलग खंडित जंगल के रूप में मौजूद हैं। जंगली जानवर संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास के जंगलों का उपयोग आवास, मौसमी फैलाव/प्रवास के लिए मार्गों और अन्य आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी आदि पूरा करने के लिए करते है। PA के बाहर के वन पहले से ही मानवजनित दबावों के अधीन हैं और इनके संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

चिड़ियाघर और सफारी जैसी गतिविधियां 'एक्स-सिटू संरक्षण' (किसी पौधे या पशु प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर में संरक्षित करने की प्रक्रिया) उपाय हैं, और इन्हें वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों की कीमत पर नहीं लाना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठान न केवल मौजूदा वन और वन्यजीव आवासों के विखंडन और विनाश की कीमत पर बनाये जाते हैं, बल्कि संबंधित निर्माण, सड़क मार्गों, सार्वजनिक सुविधाएं और अन्य ऐसे निर्माण कार्यों से बड़े पैमाने पर संचयी प्रभाव पड़ता है जिसे वनों और वन्यजीवों के लिए फायदेमंद नहीं कहा जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं के संचयी प्रभाव से, जिसमें भवन, सड़कों तक पहुंच, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें, वाहनों की आवाजाही, प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण आदि शामिल हैं- एक अन्यथा अक्षत वन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और प्रजातियों के संरक्षण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

---

[40] Brandt JS and Buckley RC, 'A Global Systematic Review of Empirical Evidence of Ecotourism Impacts on Forests in Biodiversity Hotspots' (2018) 32 Current Opinion in Environmental Sustainability 112

[41] 'Leopards in Jawai Gasp for Breath amid Increasing Encroachment | Jaipur News - Times of India' <https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/leopards-in-jawai-gasp-for-breath-amid-increasing-encroachment/articleshow/78224690.cms > accessed 16 May 2023

[42] 'National Wildlife Action Plan 2017-31' <https://wii.gov.in/nwap_2017_31 >accessed 16 May 2023

उदाहरण के तौर पर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति को सौंपे गए इको-पर्यटन गतिविधियों से संबंधित प्रस्ताव में जनजातीय संग्रहालय, व्याख्या केंद्र, मोम संग्रहालय, स्मारिका दुकानों, पार्किंग सुविधाओं, पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल आदि की स्थापना शामिल है।[43] इसी तरह, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क में क्लब, रेस्तरां, एक्वेरियम, केबल कार, ओपन-एयर थिएटर, पशु पिंजरे, मनोरंजन पार्क, बगीचे, बिजली लाइन, सड़क नेटवर्क आदि जैसी संरचनाएं शामिल हैं।[44] ऐसी सभी गतिविधियों को FCA के तहत 'वन गतिविधियों' का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

चिड़ियाघरों और सफारी को गैर-वन गतिविधियों के दायरे में छूट देने से वनों और वन्यजीवों का असंगत रूप से व्यवसायीकरण होगा जो अधिनियम का उद्देश्य नहीं है और NFP 1988 के खिलाफ है इसलिए यह सुझाव है कि चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना की छूट को संशोधन से हटा दिया जाना चाहिए।

4.5 केन्द्रीय सरकार द्वारा 'किसी अन्य समान उद्देश्यों' के लिए निर्धारित की गयी भूमि

केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट "किसी अन्य समान उद्देश्यों" के लिए वनों के उपयोग की अनुमति देना – अस्पष्ट है और केंद्र सरकार को व्यापक विवेकाधीन अधिकार देता है। इसके अलावा, कार्यपालिका को ऐसी अत्यधिक अधिकार देने से भविष्य में संशोधनों के लिए सार्वजनिक भागीदारी और संसदीय जांच की प्रक्रिया कि अवहेलना होगी। अधिनियम के तहत जो गतिविधियाँ पहले नियंत्रित थीं उनमें किसी भी प्रकार की छूट को उचित संशोधन विधेयक के माध्यम से लाया जाना चाहिए और सार्वजनिक परामर्श और संसदीय जांच की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।

4.6 सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए छूट

विधेयक में सर्वेक्षण, जैसे भूकंपीय सर्वेक्षण सहित सैनिक परीक्षण, खनन संबंधित पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण जैसी गतिविधियों को FCA की धारा 2 के तहत वन मंजूरी से छूट देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन FCA के उद्देश्य यानी वनों के संरक्षण के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। अनुमति से इस तरह की छूट देने से खनन जैसी विशुद्ध रूप से व्यवसायीकरण गतिविधियों के लिए सर्वेक्षण कार्यों के लिए दरवाज़े पूरी तरह से खुल जायेंगे। इनमें से कुछ सर्वेक्षणों या जांचों में सतह की ड्रिलिंग/ खुदाई, वनस्पति की सफ़ाई, जमीन को समतल करना, सड़क बनाना और उच्च डेसिबल शोर उत्पन्न करना या रात में प्रकाश का उपयोग या कोई अन्य गतिविधि जो वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है, भी शामिल हो सकती है।। इसके अलावा, यह संदेश देता है कि वन क्षेत्र भविष्य में वाणिज्यिक दोहन के लिए खुले हैं, जो स्वयं NFP 1988 के खिलाफ है और अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है।

---

[43] MoEFCC, F. No. 6-259/2022, 27 January 2023 <https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Order_and_Release/11130121212151Minutesof71stmeetingofSC-NBWL.pdf%3e> accessed 11 May 2023

[44] Haryana Tourism Corporation, Expression of Interest for International Design Competition for Development of Aravali Safari Park - District Gurugram and Nuh, <https://haryanatourism.gov.in/WriteReadData/downloads/tender_safari22.pdf> accessed 11 May 2023

हाल ही में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में सात स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के लिए ड्रिलिंग के द्वारा अन्वेषण और ड्रिलिंग के संबंध में ऑयल इंडिया लिमिटेड को जैव विविधता प्रभाव आकलन की गैर मौजूदगी के कारण पर्यावरण मंजूरी नहीं दी।[45]

इसलिए, ऐसे सर्वेक्षणों के लिए इस तरह की व्यापक छूट की अनुशंसा नहीं की जा सकती। यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के सर्वेक्षण गतिविधिओं लिए छूट को हटा दिया जाए और अधिनियम की धारा 2 के तहत अनुमति के लिए मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

4.7 सुझाए गये बदलाव

धारा	विधेयक में दिए संशोधन	सुझाव
धारा 2(1) (iii)	(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, ऐसे निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिद्रिष्ट करे, समनुदेशित किया जाए;	(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को सौंपा जा सकता है, जब तक कि यह वन और वन्यजीवों के यथास्थान संरक्षण के हित में न हो, विषय ऐसे नियमों और शर्तों के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार उचित कारण से निर्धारित करती है;
धारा 2 (1) (ख)	पुनवर्नरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किन्तु इसके अंतर्गत वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से सम्बाहित कोई कार्य जैसे कि :-	पुनवर्नरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये, लेकिन इसमें वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या सहायक कोई भी कार्य शामिल नहीं है, जिसे संबंधित मुख्य वन्यजीव वार्डन या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखित कारणों के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
धारा 2(1) (ख)	i. वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरोद्धारअभियान भी है	i. वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरोद्धारअभियान भी है जो क्षेत्र के मूल वनस्पतियों को बहाल करती हैं और इसमें क्षेत्र से बाहरी प्रजातियों या वन्य जीवन को हानि पैदा करने वाले वृक्षारोपण शामिल नहीं हैं;

[45] Mrinmoy Khataniar & Anr v. Union of India, [2022] SCC OnLine Gau 826

	ii. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए चेकपोस्ट और अवसंरचना की स्थापना;	ii. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए चेकपोस्ट और अवसंरचना की स्थापना, जो वन्यजीवों के आवागमन में बाधा न डालती हों;
	iii. अग्निरेखाओं की स्थापना और अनुरक्षण ;	**कोई बदलाव नहीं**
	iv. बेतार संचार	iv. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए बेतार संचार;
	v. बाड़, सीमा चिन्हों और स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चेक बांधों, जल गड्ढों, खाईयों और पाईप लाईनों का संनिर्माण	v. बाड़, सीमा चिन्हों और स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चेक बांधों, जल गड्ढों, खाईयों और पाईप लाईनों का संनिर्माण जो केवल वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों और मुख्य वन्यजीव प्रबंधक या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखित कारण सहित प्रमाणित किया जाएगा;
	vi. सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में स्वामित्वाधीन चिड़ियाघर या सफारी स्थापना;	**संशोधन से हटाया जाए**
	vii. वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकीय पर्यटन (इको-टूरिस्म) सुविधाएं	**संशोधन से हटाया जाए**
	viii. इस प्रकार का कोई और प्रयोजन जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"]	वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक कोई अन्य समान उद्देश्य, जिसे केंद्र सरकार कारणवश निर्धारित करेगी।

धारा 2 (2)	केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परिक्षण, जिसके भूकंप सर्वेक्षण, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा।	**संशोधन से हटाया जाए**

5. वन आधारित समुदायों की आजीविकाओं और अधिकारों को ले कर चिंताएं

भारत के संसद ने अपने विवेक से माना कि आदिवासियों समेत वन आधारित समुदायों की गरिमा और अस्तित्व को बचाने के लिए वनों और जैवविविधता का संरक्षण अनिवार्य है। इसी सन्दर्भ में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 ("**FRA**") तथा पंचायतों का (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 ("**PESA**") पारित किये गये थे। FRA के सही ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 3 अगस्त, 2009[46] को दिशानिर्देश जारी किये जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 में उड़ीसा खनन निगम बनाम पर्यावरण मंत्रालय केस के निर्देश में और मज़बूत किया।[47] इस परिपत्र को 2014[48] और 2017[49] में वन (संरक्षण) नियम संशोधन द्वारा समर्थित किया गया था। इन संशोधनों ने वन हस्तांतरण से पहले ग्राम सभाओं (स्थानीय ग्राम संस्थानों) की सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया और किसी भी वन अधिकार मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने पर बल दिया। हालांकि, 2022 के वन संरक्षण नियमों के संशोधन में इस प्रावधान को मजबूत करने के बजाय, जनजातीय मंत्रालय की आपत्तियों की अवहेलना करते हुए, प्रारंभिक चरण-I अनुमोदन से अंतिम चरण-II अनुमोदन तक FRA के अनुपालन के महत्व को कम कर दिया। इसने वन हस्तांतरण या क्षतिपूरक/ सुधारात्मक उपायों के लिए ग्राम सभाओं की पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता को हटा दिया। यह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अधिवेशन के अनतर्गत COP सम्मेलन द्वारा स्वीकृत दिसंबर 2022 के कनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के विपरीत है। जिसके अनुसार स्थानीय समुदायों सहित आदिवासियों को निर्णय लेने में प्रासंगिक हितधारकों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है।[50]

विधेयक में प्रस्तावित कई संशोधन [धारा 1क (1)(ख) और धारा 1क (2)] वन अधिकार कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों ("**STs**") और अन्य पारंपरिक वन निवासियों ("**OTFDs**") को दिए गए संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं क्योंकि यदि कोई भी वन भूमि FCA के दायरे से बाहर आती है, तो उक्त भूमि के हस्तांतरण प्रक्रिया में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रभावी रूप से खत्म हो जाती है। FRA का मूल मकसद ST और OTFD को वन अधिकारों की मान्यता प्रदान कर उन ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है जिनका सामना वन अधिकारों से वंचित होने के कारण ऐसे समुदाय सदियों से करते आ रहे हैं। FRA और PESA के तहत वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं मिलने से यह हाशिये पर खड़े करने वाली

---

[46] Letter, MoEFCC, F. No. 11-9/1998-FC (pt), 3 August, 2009

[47] Orissa Mining Corpn. Ltd. v. Ministry of Environment & Forests, [2013] 6 SCC 476

[48] Forest (Conservation) Amendment Rules, 2014, <https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202014.pdf>

[49] Forest (Conservation) Amendment Rules, 2017, <https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf> accessed 11 May 2023

[50] 'COP15: Final Text of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework' (Convention on Biological Diversity) <https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222> accessed 16 May 2023

ऐतिहासिक प्रक्रिया जारी रहेगी जो अधिक अन्याय का कारण बनेगी।

विधेयक में अधिकांश प्रस्तावित संशोधन न केवल FCA के संरक्षणवादी दृष्टिकोण को पलटते हैं बल्कि संविधान में दिए, विशेष रूप से वन-आश्रित समुदायों को आश्वस्त अधिकारों जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, सूचना के अधिकार, निर्णय लेने में भागीदारी और न्याय तक पहुंच, को भी कमजोर करते हैं। नई शामिल की गई धारा 1क के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के लिए वन मंजूरी की आवश्यकता से छूट और धारा 2 में संशोधन सीधे ऐसे अधिकारों को प्रभावित करते हैं। जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन-आश्रित समुदायों सहित वनवासियों के पास पीढ़ियों से फैली वन भूमि पर लंबे समय से निर्भरता का गहरा संबंध हैं। वन पर निर्भर समुदाय अपनी आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और संम्पन्नता के लिए जंगलों पर निर्भर हैं।

उदाहरण के लिए, धारा 1क (1)(ख) के तहत उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में स्पष्ट रूप से इंगित न की गयी वन भूमि पर वृक्षारोपण या पुनर्वनीकरण के लिए प्रस्तावित छूट से ऐसे व्यवसायिक वृक्षारोपण/पुनर्वनीकरण को प्रोत्साहन मिल सकता है जो वनों पर निर्भर समुदायों की जरूरतों और हितों के साथ मेल न खाता हो। संभव है कि ये पहल मोनोकल्चर वृक्षारोपण या बाहरी प्रजातियों को प्राथमिकता दें। परिणामस्वरुप जिन संसाधनों पर समुदाय टिके हैं ऐसी जैव विविधता को हानि, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान, और विविध वन संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो सकती है। इससे उनकी पारंपरिक आजीविका और आस-पास के जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाएं कमज़ोर होंगी।

इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय सीमा/LAC/LOC के 100 कि. मी. के भीतर स्ट्रेटेजिक लीनियर परियोजनाओं के लिए धारा 1क(2)(ग) के तहत प्रस्तावित छूट; सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के लिए 10 हेक्टेयर तक; रक्षा संबंधी परियोजना का निर्माण या अर्धसैनिक बलों के कैम्प या सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं आदि, वन भूमि पर निर्भर समुदायों के पारंपरिक क्षेत्रों और संसाधनों तक पहुंच को और बाधित करती हैं। इससे वन उत्पादों को इकट्ठा करने या उनकी आजीविका को बनाए रखने वाली प्रथाओं को जारी रखने की उनकी क्षमता सीमित होती है। यह उन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं – चाहे वो जल या जंगल में हो - जिन पर ये समुदाय आश्रित हैं, के नुकसान का कारण भी बन सकता हैं।

इसी तरह वन पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अस्तित्व और टिकाऊपन जनजातीय समुदायों सहित वनवासीयों के जीवन से परस्पर जुडा है। इसके अतिरिक्त, इस तरह की गतिविधियों को शामिल करने और विस्तारित करने से विस्थापन, आवश्यक संसाधनों तक पहुंच का नुकसान और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके में विघन पैदा हो सकता है। साथ ही, धारा 2 में प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार को वन भूमि के हस्तांतरण में 'किसी अन्य समान उद्देश्य' को निर्दिष्ट करने के अधिकार का दुरुपयोग होता है तो यह वनवासियों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी विकास या संरक्षण प्रक्रिया में वनवासियों के अधिकारों, भागीदारी और सहमति पर विचार हो और वनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध और उनकी स्थायी प्रथाओं का सम्मान हो। इन छूटों के संभावित सामाजिक और पारिस्थितिक परिणामों पर विचार कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वन-निर्भर समुदायों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

6. सुझावों का सारांश

धारा	प्रस्तावित संशोधन	सुझाव
1	**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 है**	**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम (फारेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट)1980 है**
1क(1)	निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात — : (क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है; (ख) वह भूमि, जो उपबंध(क) के अधीन नहीं आती है, किन्तु 25 अक्तूबर 1980 को या उसके बाद किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गयी है	निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात : — (क) वह भूमि जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है अथवा घोषित या अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया में है। (ख) वह भूमि जो उपबंध (क) में नहीं आती पर जो किसी भी सरकारी रिकार्ड में वन के रूप में दर्ज है चाहे इसका स्वामित्व अधिकार किसी के भी पास हो। (ग) वह भूमि जो उपबंध (क) और (ख) में नहीं आती परन्तु अपने पारिस्थिकीय या पारम्पारिक मूल्यों के मद्दे नज़र किसी स्थानीय समुदाय द्वारा वन भूमि मान्य हो (घ) वह भूमि जो उपबंध (क), (ख) और (ग) में नहीं आती पर कानून की धारा 2 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए चिन्हित या इस्तेमाल में हो।
	परन्तु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन से गैरवन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है; और	**संशोधन से हटाया जाये**
	स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -, 'सरकारी अभिलेख' पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार, राज्य सरकार या	**कोई बदलाव नहीं**

	संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है.	
1क (2) (क)	1(क)(2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होगी, अर्थात: - (क) रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क, जिसका अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है, के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख सुविधाओं के लिए, प्रत्येक मामले में अधिकतम .10 हेक्टेयर माप तक पहुँच प्रदान करती है	**संशोधन से हटाया जाए**
1क (2) (ख)	(ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष या वन रोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिद्रिष्ट नहीं है; और	(ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष या वन रोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निद्रिष्ट नहीं है;
1क (2) (ग)	ऐसी वन भूमि, - (i) जो राष्ट्रीय महता की सामरिक लीनियर परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीयसीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या (ii) जो सुरक्षा सम्बन्धी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है; या (iii)जो रक्षा सम्बन्धी परियोजना या अर्द्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किये जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिद्रिष्ट कियाजाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी अतिवाद से	**संशोधन से हटाया जाय**

	प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है।	
1क (ग)	उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकार के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी।	**संशोधन से हटाया जाय**
धारा 2(क) (iii)	(iii)कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, ऐसे निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिद्रिष्ट करे, समनुदेशित किया जाए;	(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामीत्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है, यदि वो इनसिटू वन एवं वन्यजीव संरक्षण के हितों में हो, समनुदेशित किया जाए;
धारा 2 (क) (ख)	पुनवर्नरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किन्तु इसके अंतर्गत वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से सम्बाहित कोई कार्य जैसे कि :-	पुनवर्नरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये, किन्तु इसके अंतर्गत वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या सहायक कोई कार्य शामिल नहीं हो, जो मुख्य वन्यजीव प्रबंधक या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखित कारण सहित प्रमाणित किया जाएगा।
धारा 2(क) (ख)	i. वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरोद्धारअभियान भी है	i. वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरोद्धारअभियान भी है जो क्षेत्र के मूल वनस्पतियों को बहाल करती हैं और इसमें क्षेत्र से बाहरी प्रजातियों या वन्य जीवन को हानि पैदा करने वाले वृक्षारोपण शामिल नहीं हैं;
	ii. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए चेकपोस्ट और अवसंरचना की स्थापना;	ii. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए चेकपोस्ट और अवसंरचना की स्थापना, जो वन्यजीवों के आवागमन में बाधा न डालती हों।
	Iii. अग्निरेखाओं की स्थापना और अनुरक्षण ;	**कोई बदलाव नहीं**
	iv. बेतार संचार	iv. सीमावर्ती वन कर्मचारीवृन्द के लिए बेतार संचार;

	v. बाड़, सीमा चिन्हों और स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चेक बांधों, जल गड्ढों, खाईयों और पाईप लाईनों का संनिर्माण	v. बाड़, सीमा चिन्हों और स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चेक बांधों, जल गड्ढों, खाईयों और पाईप लाईनों का संनिर्माण जो केवल वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों और मुख्य वन्यजीव प्रबंधक या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखित कारण सहित प्रमाणित किया जाएगा;
	vi. सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में स्वामित्वाधीन चिड़ियाघर या सफारी स्थापना;	**संशोधन से हटाया जाए**
	vii. वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकीय पर्यटन (इको-टूरिस्म) सुविधाएं	**संशोधन से हटाया जाए**
	viii. इस प्रकार का कोई और प्रयोजन जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"]	वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक कोई अन्य समान उद्देश्य, जिसे केंद्र सरकार कारणवश निर्धारित करेगी।
धारा 2 (ख)	केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परिक्षण, जिसके भूकंप सर्वेक्षण, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा।	**संशोधन से हटाया जाए**
धारा 3 (ग)	केंद्रीय सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन मान्यता प्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को ऐसे निदेश को जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के कार्यन्वयन के लिए आवश्यक समझे।	केंद्रीय सरकार समय समय पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन मान्यता प्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को ऐसे निदेश जो वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक हों, को जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के कार्यन्वयन के लिए आवश्यक समझे।

अनुलग्नक

अवर्गीकृत वनों के प्रतिशत के साथ वनावरण का चरणवार विवरण (उच्च से निम्न)

राज्य	**कुल वन क्षेत्र** (वर्ग कि.मी.)	**आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र** (वर्ग कि.मी.)	**अवर्गीकृत वन क्षेत्र** (वर्ग कि.मी.)	**% अवर्गीकृत वन / कुल राज्य वन आवरण** (वर्ग कि.मी.)
नागालैंड	8623	234	8,389	97.29
मेघालय	9496	1125	8,371	88.15
लक्षद्वीप	13	2	11	84.61
मणिपुर	17418	4238	13,180	75.67
पंजाब	3084	1181	1,903	61.71
अरुणाचल प्रदेश	51540	24228	27,312	52.99
त्रिपुरा	6294	3590	2,704	42.96
असम	26836	17864	8,972	33.43
उत्तर प्रदेश	17384	11856	5,528	31.79
गोवा	1271	874	397	31.24
गुजरात	21870	17472	4,398	20.11
हिमाचल प्रदेश	37948	30770	7,178	18.92
छत्तीसगढ़	59816	49933	9,883	16.52
पुडुचेरी	0	0	0	15.58
मिजोरम	7479	6322	1,157	15.47
कर्नाटक	38284	32621	5,663	14.79
हरियाणा	1559	1407	152	9.75
पश्चिम बंगाल	11879	10826	1,053	8.86

चंडीगढ़	35	32	3	8.57
बिहार	7442	6876	566	7.61
महाराष्ट्र	61952	57298	4,654	7.51
तमिलनाडु	23188	21576	1,612	6.95
झारखंड	25118	23422	1,696	6.75
राजस्थान	32863	30719	2,144	6.52
उत्तराखंड	38000	36432	1,568	4.13
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	214	208	6	2.80
मध्य प्रदेश	94689	92984	1,705	1.80
तेलंगाना	27688	27392	296	1.07
आंध्रप्रदेश	37258	37028	230	0.62
ओडिशा	61204	61182	22	0.04
दिल्ली	103	103	0	0
केरल	11522	11522	0	0
सिक्किम	5841	5841	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीप	7171	7171	0	0
जम्मू और कश्मीर	20199	20199	0	0
लद्दाख	7	7	0	0
कुल	**775288**	**654535**	**120753**	**15.58**

स्रोत:: '61,952 Sq. Km. of Recorded Forest Area in Maharashtra' <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1806315#:~:text=Maharashtra%2C%20the%20third%20largest%20state,km%20of%20Unclassed%20Forests%20area.> accessed 17 May 2023

तस्वीर- अरुणाचल प्रदेश के अपर डिबांग घाटी से वन. चित्र: goldentakin/ विकिमीडिया

About the Authors

VIDHI Centre for Legal Policy